CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

INDEX SHEET

CAUSE TITLE ....OA 56.................OF ..89..........................

NAME OF THEPARTIES Kamal Swaroop Gaur.....Applicant

Versus

.................Union of India.......................Respondent

Part A.

Sl.No.	Description of documents	Page
1	Order Sheet	A 1 to 3
2	Judgement date 22.5.92	A 4 to 6
3	Petition copy	A 7 to 20
4	Annexure	A 22 to 71
5	Power	A 21
6	counter Affidavit	A 72 to 87
7	M.P. No. 284/92	A 88
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

CERTIFICATE
Certified that no further action is required totaken and that the case is fit for consignment to the recoord room (decided)

Dated ..14/6/2011

Counter Signed.......

Signature of the
Dealing Assistant

Section Officer/In charge

Central Administrative Tribunal
Lucknow Bench

OA 56/89

Cause Title ~~[illegible]~~ of 1993 (~~[illegible]~~)

Name of the Parties K. S. Ijaur, ~~[illegible]~~ — Applicant

Versus

Union of India — — Respondents.

Part A. B.C

Sl. No.	Description of documents	Page
1.	Check List	
2.	Order Sheet.	A1 A3
3.	Judgement. dt 22.5.92	A4 - A6
4.	Petition Copy	A7 A20
5.	Annexure	A22 - A71
6.	Power	A21
7.	Counter Affidavit.	
8.	Rejoinder Affidavit.	A72 - A87
	M.P. 284/92	A 88 - A

B - File

B - File B29 B 191

C - File C192 - C217

OA. 56 (2)

10-3-89 Hon. Justice K. Nath, V.C

Hon. A. Johri, AM

Admit. Issue notice to repdts. to file reply by 7.4.89 to which rejoinder may be filed by 13.4.89. List for hearing on. 19.4.89.

V.C

A.M.

13/3/89. OR

Notices issued to the repdts. through regd. post. fixing 19.4.89 for hearing.

13.3.89

OR

Notices fixing 7.4.89 for filing reply and 19.4.89 for hearing ~~have~~ have been issued to the respondents under regd. cover.

Neither any undelivered cover nor any reply has so far received on the office.

Submitted for orders.

12/4

Hon' Mr. Justice K. Nath, V.C.

Hon' Mr. D.S. Misra, A.M.

19/4/89 The learned counsel for the applicant is present. and concedes that there is mistake in the description of O.P. No. 3 in the title of the application. He says that the proper party is the Divisional Railway Manager of the Northern Railway and not North-Eastern Railway. He may apply for an amendment rectifying this mistake within 3 days and put up for orders on 24-4-1989.

A.M.

V.C.

(sns)

OR

Counsel for applicant has not filed any amendment application so far. Submitted for orders.

21/4

10.7.89

Hon. D.K. Agrawal, JM

No sitting of Division Bench.

Fixed 25.9.89 for orders.

J.M.

OR

As directed by the court order dt. 27.4.89. The learned counsel for the applicant has incorporated amendment ... fresh notice were issued ... the o.p. nos at revised add...

Neither reply nor ... unserved reqd. cover back ... been return ...

Submitted for order.

25/9/89 Hon. Justice K. Nath, VC.
Hon. K. Obayya, AM.

Shri Arjun Bhargava is present on behalf of all the opposite parties. He requests for two weeks time to file a Counter. The applicant may file rejoinder within two weeks thereafter. List for further orders on 30-10-89.

AM. VC.

OR

No reply till ... Submitted for orde...

Hon' Mr. D.K. Agrawal, J.M.

30/10/89 Shri Arjun Bhargava counsel ffor the respondents is present. A request has been received on behalf of Mr. R.B. Srivastava counsel for the applicant for adjournment. Adjourn this case to <u>10-1-90</u>.

J.M.

(sns)

10-1-90 No Sitting. Adj. to 15.3.90.

10/1/90

OR

No C.A ... S.F.O ...

OA 561/89 L

15.5.91 — No Sitting Adj to 1.8.91

1.8.91 — No Sitting adj to 22.10.91

22-10-91.

Mr. R.B. Srivastava — Counsel for the Applicants
Mr. A. Bhargava — Counsel for the Respondents

Respondents are directed to produce the relevant records including Service Record, on the next date on 31/12/91.

(S.N. Prasad)
Member (Judl.)

(Kaushal Kumar)
Vice Chairman.

31.12.91 — No Sitting of D.B. adj to 25.2.92

25.2.92 — No Sitting of D.B. adj to 2.4.92

2.4.92 — No Sitting adj to 22.5.92

M.P. 284/92 filed for expedite of the adjudication
SPH 28.4

CA, RA have been exchanged
SPH
2016

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, LUCKNOW BENCH

LUCKNOW

O.A. No. 56/89

K.S. Gaur Applicant

versus

Union of India & others Respondents.

Hon.Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.
Hon. Mr. K.Obayya, Adm. Member.

(Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.)

The applicant was a Substitute Cleaner and his services were put to an end to vide order dated 12.3.76 and vide order dated 28.4.76 he was reinstated in service with the benefit of past service.Subsequently, the order of reinstat ment was substituted by the order of re-engagement,which has been challenged in this application.

2. The applicant was appointed as Substitute cleaner on 3.12.73 but according tothe applicant he was appointed on 1.1.71 and the services of the applicant were terminated under Rule 149 of R.I.He was re-engaged as a substitute cleaner on 28.4.76 and on 19/21.10.1976 it is said that because of his absence it was treated as a deemed resignation.The applicant protested against the same and filed representation on 20.11.1976.He was reappointed as Substitute Cleaner andthereafter with the stipulation that his past services will not be counted for any purposes. On 22.9.90 the applicant was ordered to be re-engaged as Substitue Cleaner. The

applicant submitted a representation on regarding the benefit of past service and vide order dated 16.7.85 he was reinstated and the order of reinstatement reads as follows:

"..... who was re-engaged as Sub-cleaner vide this office letter No. 220E/1-5/Cleaner dt. 22.9.80 addressed to the then DME/DSL MGS is reinstated instead of re-engaged allowing the benefit of his past services. This has the approval of D.R.M."

Subsequently some two months thereafter on 30.7.85 on the application of the applicant Loco Foreman informed him that he is reinstated as Cleaner instead of re-engaged and he was was reinstated and refixation of pay may be issued and he may be considered for promotion. Subsequently vide impugned order dated 9.10.85 orders of the reinstatementof the applicant were cancelled and the applicant was treated as re-engaged w.e.f. from 29.2.80 and this also had got approval of the D.R.M..

3. On behalf of the applicant it was contended that the applicant was reinstated in service , the orders could not have been changed thereafter, as the applicant was reinstated in services and the benefits of past services were given to him, and the bendfit cannot be taken away without opportunity of hearing.

4. The respondents contended that it was an administrative error and he can only be re-engaged andnot reinstated and it has been also stated that subsequently the applicant vide order dated 19.11.89 has been temporarily promoted as Second Foreman and his services have also been regularised. Now, the question which remains for consideration is that whether it is reappointment or re-engagement. A substitute Cleaner cannot be reinstated and he can be regularised.In this case it appears that these words were used by mistake. The opportunity should have been given. His re-engagement will date back when he was reinstated with the result the applicant will be entitled to all the benefits taking it as if he was re-engaged since then and because of this continuous service if the applicant is entitled to promotion that too to be given but without any back wages. A decision in this behalf be taken within 3 months of the receipt of this order. Applicationis disposed of with the above directionswith no order as to costs.

A.M. V.C.

Shakeel/ Lucknow:Dated:22.5.92.

Filed on 24-2-89

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad,

Lucknow Bench, Lucknow.

*****

(Application under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1986).

Title of the case

Kamal Swaroop Gaur .. Applicant.

Versus

Union of India and others .. Respondents

I N D E X

Sl.no.		Description of documents	Page no.
1.		Application	
2.	An.1-	Copy of order dated 12.3.1976.	
3.	2	" representation dated 7.4.76.	
4.	3	" order dated 28.4.1976.	
5.	4	" order dated 19/21.10.76.	
6.	5	" representation dated 30.11.76.	
7.	6	" order dated 5.1.1977.	
8.	7	" representation dated 6.5.77.	
9.	8	" resignation dated 1.6.77.	
10.	9	" order dated :	
11.	10	" representation dated :	
12.	11	" "	
13.	12	" "	
14.	13	" "	
15.	14	" "	
16.	15	" order dated 22.9.1980.	
17.	16	" representation dt. 6.10.1981.	
18.	17	" appeal dated 29.7.1982.	
19.	18	" representation dt. 30.11.84.	
20.	19	" " 2.3.1985.	

Sl.	Annexure	Description of documents	Page no.
21.	20	Copy of representation dated 14.5.1985.	
22.	21	Copy of order dated 16.7.85	
23.	22	" application dated 30.7.1985.	
24.	23	" order dated 9.10.85.	
25.	Vakalatnama		

Signature of the applicant

For use in the Tribunal's office

Date of filing:

Registration No.

Signature of Registrar.

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad,

Lucknow Bench, Lucknow.

*****

B_E_T_W_E_E_N

Kamal Swaroop Gaur .. Applicant.

and

1. Union of India, through the Chairman, Railway Board, Rail Mantralaya, New Delhi.

2. Northern Railway, through the General Manager, Baroda House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

3. Divisional Railway Manager, Northern ~~North Eastern~~ Railway, Hazratganj, Lucknow.

.. Respondents.

Amended vide Tribunal order dated 27.4.99.

Ago 20.4.99

DETAILS OF APPLICATION

1. Particulars of applicant:

i) Name of the applicant: Kamal Swaroop Gaur.

ii) Name of father: Late Sri Bhim Shankar Gaur.

iii) Age of the applicant: About 39 years.

iv) Designation and particulars of office in which employed:

Employed as Cleaner

T.no. 1146, Loco Running Shed,

Northern Railway, Alambagh, Lucknow.

v) Office address: C/o Loco Foreman,
Northern Railway,
Alambagh, Lucknow.

vi) Address for service of notice: Kamal Swaroop Gaur,
104, Pan Wali Gali,
Chowk, Lucknow.

2. Particulars of respondents :

i) Union of India, through the Chairman,
Railway Board, Rail Mantralaya,
New Delhi.

ii) Northern Railway, through the General Manager, Baroda House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

iii) Divisional Railway Manager,
office of the Divisional Manager,
Northern Railway, Hazratganj, Lucknow.

3. Particulars of the order against which application is made:

i) Order no. 293 E/1-5/Cleaner/HQ-Annexure 1.

ii) Date: 9th October, 1985

iii) Passed by: Senior Divisional Personnel Officer, Lucknow, with approval of D.M.E.(Lucknow).

iv) Subject in brief: Cancellation of order of re-instatement dated 16.7.1985.

4. Jurisdiction of the Tribunal:

The applicant declares that the subject matter of the order against which ~~the~~ he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation:

The applicant further declares that the application is within the limitation provided in Section 21 of the Administrative Tribunals Act, 1985 , on the grounds;

a) Because, writ petition no. 188 of 1986 was filed in the Hon'ble High Court, Lucknow Bench on 15.1.1986 against the order dated 9.10.1985, when his representation against the said order moved on 25.10.1985, was still binding.

b) Because, the writ petition no. 188 of 1986 has been withdrawn on 4.1.1989 to ~~the~~ be filed before Central Administrative Tribunal in view of change in law and the jurisdiction having come to Central Administrative Tribunal after deletion of Section 2(b) and change in Section 28 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

c) Because, the order passed on 4.1.1983 being Dismissed as withdrawn, another application for withdrawal of writ petition had to be filed on 2.2.1986, which became infructuous.

d) Because, the petitioner is moving separate application under Section 21(3) for condoning delay, as the applicant had filed a writ petition in the Hon'ble High Court and could not have come to the Tribunal before withdrawing that.

6. Facts of the case:

The facts of the case are given below;

a) That the applicant was appointed as a Substitute Cleaner on 1.1.1971.

b) That vide order dated 12.3.1976, which was received by the applicant on 21.3.1976, the services of the applicant were terminated in exercise of the powers under Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code, Volume I. The true copy of the aforesaid order dated 12.3.1976 is being filed as Annexure no. 1.

c) That the applicant made a representation against the aforesaid illegal termination of his services. The true copy of the representation made by the applicant dated 7.4.1976 is being filed as Annexure no. 2.

d) That thereafter, the applicant was re-engaged as a substitute cleaner at Varanasi vide order dated 28.4.1976, a true copy of which is being filed as Annexure no. 3.

e) That the applicant's services at Varanasi were terminated again vide order dated 19/21.10.1976 alleged as on the basis of his deemed resignation in terms of note below Rule 782 of the Indian Railway Establishment Code. A TRUE COPY OF THE aforesaid order dated 19/21.10.1976 is being filed as Annexure no. 4.

f) That the applicant submitted a representation dated 30.11.1976 against his deemed resignation and he was thereafter re-engaged vide order dated 5.1.1977. The true copy of the aforesaid representation dated 30.11.1976 and the order of re-engagement dated 5.1.1977 are being filed as Annexures no. 5 and 6 respectively.

g) That vide aforesaid re-engagement order contained in annexure no. 6, the applicant was required to join at Faizabad Shed and it was stipulated therein that his past services were not be counted for any purpose. He was in compliance of the order posted at Faizabad Shed.

h) That the applicant was not allowed to join his duties at Faizabad in terms of the aforesaid order dated 5.1.1977 and had to make a representation to the Senior Divisional Mechanical Engineer (Sr.D.M.E.), Northern Railway, Hazratganj, Lucknow drawing his attention that despite orders, he was not allowed to join his duties at Faizabad.

i) That the applicant was again asked to go to Faizabad after the Sr. D.M.E. made an endorsement on the order requiring the Loco Foreman, Faizabad to allow the applicant to join his duties.

j) That on 6.5.1977, the applicant made a representation to Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow (opposite party no. 3) from Faizabad indicating how he was meeted out with grave injustice in the matter of his termination and prayed for benefit of his past services by re-instatement and also claimed seniority. A copy of the said representation is being filed herewith as Annexure no. 7.

k) That on 1.6.1977, when he had gone to meet the Senior Divisional Mechanical Engineer, Lucknow on being called to meet him, he got a typed letter signed from the applicant under threat of detention in MISA during Emergency period, which turned out to be resignation letter, which he accepted. On that very day, he made a representation to D.R.M., Lucknow (opposite party no. 3), a copy of which is being filed as Annexure no. 8, disclosing how he was forcibly made to write the alleged resignation letter and submitted that he had not given any resignation with free-will, which will not be given effect to and the applicant be permitted to continue in Railway service.

l) That the abovesaid two ~~xxx~~ representations Annexures no. 5 and 6, remained undisposed of and the applicant was informed that his resignation dated 1.6.1977 had been accepted by the Divisional Railway Manager, Lucknow with immediate effect. The copy of that order is being filed herewith as Annexure no. 9.

m) That the applicant thereafter made several representations to Railway authorities for his re-instatement and benefit of his past services, but copies of all the representations are not available with him as the same were given to Late Sri Lalloo Singh, Advocate, who met his sudden unnatural death and he could not get them from his office. However, copies of some of the representations are available with the petitioner, which are being filed herewith as Annexures no. 10 to 14.

n) That the applicant was re-engaged as Substitute Cleaner under order of Divisional Railway Manager, Lucknow and was posted at Moghalsarai Shed vide copy of the order dated 22.9.1980, which is being annexed herewith as Annexure no. 15.

o) That the applicant thereafter submitted a representation dated 6.10.1981, copy of which is being ~~fixxxxx~~ filed as Annexure no. 16, requesting for the benefit of his past services and seniority.

p) That the applicant preferred an appeal on 29.7.1982 to Divisional Railway Manager (opposite party no. 3) requesting for re-instatement and benefit of past services, a true copy of which is being filed herewith as Annexure no. 17. Similar representations were also made on 30.11.1984, 2.3.1985, 14.5.1985, true copies of which are being filed as Annexures no. 18 to 20, respectively.

q) That ultimately, the applicant was re-instated and his prayer for giving him the benefit of the past services was allowed vide order dated 16.7.1985, copy of which is being filed herewith as Annexure no. 21.

r) That the applicant moved an application on 30.7.1985 requesting for fitment on the post of Foreman grade-B as all other colleagues of the applicant were working on that post and that his pay be fixed in that grade. A true copy of application dated 30.7.1985 is being annexed herewith as Annexure no. 22, by Loco Foreman for issue of necessary charge memo for revised pay and place for promotion.

s) That the order of re-instatement dated 16.7.1985 was to the utter surprise of the applicant cancelled without giving him an opportunity of being heard in utter violation of principles of natural justice vide order dated 9.10.1985, a copy of which is being annexed herewith as Annexure no. 23.

t) That against the said order of cancellation the applicant made a representation dated 25.10.1985 a true copy of which is being annexed herewith as Annexure no. 24.

7. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned in para 6 above, the applicant prays for following reliefs;

a) That the order of cancellation of re-instatement order with benefit of past services dated 9.10.1985, contained in annexure no. 23 be set aside, as illegal and passed in utter violation of principles of natural justice.

b) That the order of re-instatement with benefit of past services, passed on 16.7.1985 vide Annexure no. 21 be restored giving the petitioner benefits of his past services ~~and fixation of pay~~ in seniority, promotion and fixation of pay.

c) That any other relief which the Tribunal considers just and proper in the circumstances of the case be given to the applicant.

d) That suitable cost be awarded to the applicant.

8. Interim order, if any prayed for:

The applicant being in employment of the opposite parties, no interim relief is prayed for.

9. Details of remedies exhausted:

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, copies of representations and applications has been filed as annexures and outcome mentioned in the facts of the case.

10. Matter not pending with any other court:

The applicant further declares that the matter regarding which the application has been made is not pending with any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal. The writ petition filed on 15.1.1986 with the Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow as Writ Petition no. 188 of 1986 has since been withdrawn after deletion of section 2(b) and change of section 28 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

11. Application is being filed through counsel.

12. Particulars of Bank Draft:

1. Name of the bank on which drawn: Allahabad Bank Medical College Lko

2. Demand Draft No.: B/F. 483875/43 dated 23/11/1989

13. List of enclosures:

1. True copy of order dated 12.3.1976.
2. " " representation dated 7.4.1976.
3. " " of order dated 28.4.1976.
4. " " order dated 19/21.10.1976.
5. " " representation dated 30.11.76.
6. " " order dated 5.1.1977.
7. " " representation dated 6.5.1977.
8. " " resignation letter dated 1.6.1977.
9. " " order dated
10. " " representation.
11. " " "
12. " " "
13. " " "
14. " " "
15. " " order dated 22.9.1980.
16. " " representation dated 6.10.1981.
17. " " appeal dated 29.7.1982.
18. " " representation dated 30.11.1984.
19. " " " " 2.3.1985.
20. " " " " 14.5.1985.
21. " " order dated 16.7.1985.
22. " " application dated 30.7.1985.
23. " " order dated 9.10.1985.

Verification

I, Kamal Swaroop Gaur, aged about 39 years, son of Late Bhim Shankar Gaur, ~~x&x~~ working as Cleaner no. 1146, in the office of Loco Foreman, Northern Railway, Alambagh, Lucknow, residing

at 104, Pan Wali Gali, Chowk, Lucknow, do hereby verify that the contents of paras ___ are true to my personal knowledge and paras ___ are believed by me to be true on the basis of legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Place: २४-२-६९
Date:

Signature of the applicant.

Advocate

In the Court of Central Administrative

बअदालत श्रीमान Tribunal, Allahabad **महोदय**
Lucknow Bench, Lucknow

~~वादी (मुद्दई)~~ का **वकालतनामा**
~~मुद्दई (मुद्दालेह)~~

COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

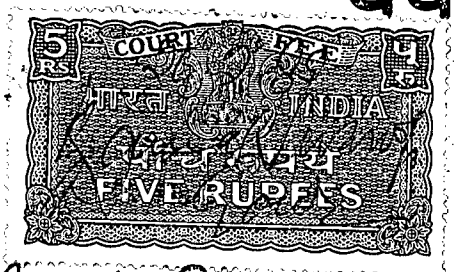

Kamal Swaroop Gaur — Applicant

Union of India & others बनाम प्रतिवादी (रिस्पान्डेन्ट) Respondents

नं० मुद्दमा सन पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री R. B. Srivastava

Awadh Bar Association High Court वकील

Lucknow एडवोकेट महोदय

को अपना वकील नियुक्त करके (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

नाम अदालत ....
नं० मुकद्दमा ....
नाम फरीकैन ....

Accepted
R.B. Srivastava
Advocate

कमल स्वरूप गौड़
हस्ताक्षर
(Kamal Swaroop Gaur)

साक्षी (गवाह) ______________ साक्षी (गवाह) ______________

दिनांक 24th महीना February सन् १९89 ई०

Annex- No. '1'

(1) (4)

Northern Railway. | Divl. Supdt.'s Office, Lucknow.

No. 220E/1-5-/Kamal Swaroop Gaur.
Dated: 12/3/76.

Orders of termination of service issued under Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code Vol. 1.

Order.

In pursuance of Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code Vol. 1, Shri Kamal Swaroop Gaur, son of Shri Bhim Shanker Gaur Design. Substitutes Cleaner, Station Lucknow the temporary Railway servant, services shall stand terminated on expiry of 1 month notice from the date of issue of this Notice.

(N.D. Bath)
Signature of appointing authority
Designation. Assistant Mech. Engineer, N.Rly., Lucknow.

Attested true copy
Advocate

Copy forwarded to:-
1. Shri Kamal Swaroop Gaur, Through:- Loco Foreman, N.Rly., Lucknow.
2. The Loco Foreman, Lucknow.
3. Sr. D.A.O./Lucknow.
4. H.C. Settl. in D.S.Office, Lucknow.

2

(2) Annex No. 2

सेवा में,

श्रीमान मण्डल अधीक्षक महोदय,
उत्तर रेलवे, हजरतगंज,
लखनऊ ।

5

विषय: अवैधानिक रूप से टरमिनेशन की नोटिस जारी करना ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी आप के लोको रनिंग शेड उत्तर रेलवे लखनऊ में इंजन क्लीनर के पद परकाम करता है । प्रार्थी एक सच्चे देश नागरिक की हैसियत से रेल की सेवा करता रहा है । प्रार्थी न तो कभी किसी हडताल या किसी प्रकार के आन्दोलन में भाग लिया है जिस से रेल प्रशासन के काम में बाधा पडी हो । प्रार्थी रेल की सेवा आज लगभग ६ साल से सुचारु रूप से करता रहा है जिस में प्रार्थी हमेशा एक आदर्श कर्मचारी का प्रतीक रहा है । यह श्रीमान जी के पास रेकार्ड है कि गत मई १९७४ की रेल हडताल में दिन रात रेलवे प्रशासन की सेवा करता रहा है । प्रार्थी अपनी इस छोटी सी रेल सेवा में न कभी अधिक गैरहाजिर और न ही अधिक अवकाश लिया है । और न कभी सस्पेन्ड हुआ है । जिस का प्रमाण श्रीमान जी के कार्यालय में मौजूद है ।

LF-JKC
14/4/76

श्रीमान जी से बड़े दुख के साथ लिखना पड रहा है कि प्रार्थी को जो टरमिनेशन की नोटिस जारी की गया है वह बिल्कुल अवैधानिक है क्योंकि प्रार्थी दिनांक १५-३-७६ से १८-३-७६ तक अवकाश लेकर बिहार अपनी बहिन को विदा कराने गया था परन्तु प्रार्थी का यह दुर्भाग्य है कि प्रार्थी वहां बीमार पड गया प्रार्थी के चेहरे पर दाने पड़ गये जो सड चुके थे जिस की वजह से प्रार्थी पुन: १९-३-७६ से ३१-३-७६ तक का अवकाश लेना पडा । प्रार्थी ने जब १९-३-७६ से ३१-३-७६ तक अवकाश की अपलीकेशन दिया तो यह कि प्रार्थी को कार्यालय से मालूम हुआ कि प्रार्थी को अवकाश प्रदान किया जा चुका है इस लिये प्रार्थी निश्चिन्त होकर घर पर बैठ कर दवा करने लगा । प्रार्थी ३१-३-७६ को रेलवे डाक्टर से भी दवा ली जिस का प्रमाण प्रार्थी के पास मौजूद है । प्रार्थी को रेलवे की दवा से कोई आराम न हुआ इस लिये प्रार्थी ने प्राइवेट डाक्टर की दवा करनी शुरु की । परन्तु जब प्रार्थी ३१-३-७६ को लोको जाकर पुन: अपने अवकाश के विषय में पूछ तांछ की तो पता चला कि टरमिनेट कर दिया गया है । प्रार्थी को नोटिस दे दी गयी ।

अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के साथ जो अन्याय हुआ है वह बिल्कुल अवैधानिक है अगर ऐसा किया गया तो प्रार्थी किसी काम का

क्रमश:-----२

A24

नही रह जायेगा । इस लिये प्रार्थी के दयनीय दशा को देखते हुये पुन: रेल की सेवा करने के लिये आज्ञा प्रदान करें । प्रार्थी पुन: आश्वासन देता कि भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती नही करेगा जिस से रेल्वे प्रशासन के काम में बाधा उत्पन्न हो ।

दया के लिये धन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक: ७-४-१९७६ ।

कमल स्वरूप गौड़
७-४-७६

(कमल स्वरूप गौड़)
इंजन क्लीनर,
टिकट नम्बर ११२६,
उत्तर रेल्वे, आलमबाग,
ल ख न ऊ ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाई हेतु सेवा में प्रेषित:-

१- ~~किसान मजदूर वाहिनी, ..., लखनऊ~~ ।
२- सीनियर डी० एम० ई०, उत्तर रेल्वे, लखनऊ ।
३- लोको फोरमैन, उत्तर रेल्वे, लखनऊ ।

Attested
True copy (two pages)
[signature]
Advocate

Northern Railway. Annex. No. 3

Divl Sup Office.

Lucknow DL 28/4/76

No 220E/11-5/Kamal Sarup

Notice

The following order is hereby Issued immediate effect.-

Sri Kamal Sarup Gour S/o Sri Bhim Shankar gour, Sub cleaner under LF/Lko whose Services were terminated in pursuance of Rule 149 RI wef 11/4/76 AN. vide notice of were numer dated 12/3/76 is now re-engaged as substitute Cleaner against the existing Vacancy at BSB

Movements may be advised.

Copy to

Ass II, Per officer-II, Lucknow. 27/4/76

..CC Foreman - Lko.

..DCC Foreman - BSB with remarks ... the working of Sri Kamal Sarup ... be watched for the Next Six months ... if he does not Come upto the marks ... be taken), that he will be discharged

.. m = 2 Sr DAO/Lko.

Attested True Copy
[signature]
Advocate

2

Annex-No-4

A26

(10)

Northern Railway

Divl. Supdt's Office
Lucknow 19.10.76
21

No: 170E/1-5/Kamal Swroop Gaur

Shri Kamal Swroop Gaur
Substitute Cleaner Varanasi in office,

You were granted casual leave wef 24.6.76, 25.6.76 and 27.6.76 and had been on unauthorised absence wef 28.6.76 and since the period of absence exceeded three months, you are deemed to have resigned from service in terms of note below Para 732 R.I wef 27/9/76. AN.

Asstt. Mech. Engineer
Lucknow.

21
19/10/76

Copy for information and necessary action to:-

1. Loco Foreman - Varanasi in reference to his letter No: E/KS/2900/76 dated 28.9.76
2. Loco Foreman - Pratapgarh in reference to this office letter of even number dated 21.8.76
3. Sr DAO/LKO

[illegible]
[illegible]
[illegible]

24-22-63

Attested
True Copy
[signature]
Advocate

Annex-No-5

सेवा में,

श्रीमान मण्डल अधीक्षक महोदय,
उत्तर रेलवे, हजरतगंज,
लखनऊ ।

विषय: एक ड्यूटी इंजन क्लीनर की प्रार्थना ।

महोदय,

प्रार्थी आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करना चाहता है :-

१- यहकि प्रार्थी कमला स्वरूप गौड़, आपके लोको शेड, वाराणसी में इंजन क्लीनर के पद पर लगभग ६ साल से एक सच्चे देश नागरिक वफादार नौकर की हैसियत से रेल की सेवा करता रहा है । प्रार्थी ने कभी रेल हड़ताल या किसी प्रकार के आन्दोलन में भाग नहीं लिया है । जिससे रेल प्रशासन के कार्य में बाधा पड़ी हो ।

२- यहकि श्रीमान जी के पास रेकार्ड है कि गत मई १९७४ की रेल हड़ताल में लोको शेड फैजाबाद में दिन रात रेल प्रशासन की सेवा करता रहा है । प्रार्थी इस छोटी सी रेल सेवा में न कभी सस्पेण्ड हुआ है और न कभी अधिक गैरहाजिर हुआ है । तथा न किसी प्रकार के अपराध में शामिल हुआ है । प्रार्थी को दिनांक २५-११-७६ को असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर, लखनऊ ने नम्बर १७०ई०। १-५ कमलस्वरूप गौड़ १६।२१-१०-७६ का एक डिस्चार्ज नोटिस प्रेषित किया गया है जिस की कापी संलग्न है जिस के विषय में प्रार्थी आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करना चाहता है :-

३- यहकि प्रार्थी ने दिनांक १६-६-७६ से २३-६-७६ [illegible] र ड्राफर में ०६-२१ ड्यूटी करने के बाद २१-६-७६ से २८-६-७६ तक साथ में एक रेस्ट के चार दिन की सी०एल० छुट्टी ली [illegible] प्रार्थी अपने घर चला गया । घर पर प्रार्थी की विधवा मां [illegible] अधिक बीमार थी, जिनके लिये डाक्टर ने आंखों का आपरेशन जल्दी ही कराने के लिये कहा है, [illegible] मां की तबीयत अधिक खराब होने के कारण प्रार्थी ने अपनी छुट्टी बढ़ाने हेतु दिनांक २८-६-७६ की रात २१-३५ बजे अपने हेड क्वार्टर को तार द्वारा जिस का एक्नालिजमेंट नम्बर २१८८ है, दो दिन सी० एल० छुट्टी और देने की प्रार्थना की, उस के बाद प्रार्थी का यह दुर्भाग्य ही था कि वह खुद ही बीमार पड़ गया था जिस वजह से प्रार्थी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका। प्रार्थी ने अपनी बीमारी की सूचना एक आदमी द्वारा

---२

14-B

A28

लिखित रूप में मिलजायेगी । क्योंकि प्रार्थी के घर से रेलवे डाक्टर ५ किलोमीटर की दूरी पर है इस लिये प्रार्थी ने अपना इलाज प्राईवेट डाक्टर से कराया था ।

४- यहकि प्रार्थी जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तो वह अपनी ड्यूटी पर लोको शेड वाराणसी गया तथा अपने बुमारी पूर्ण अवस्था का पूर्ण विवरण देते हुये प्रमाण स्वरूप पी०एम०सी० मेडिकल फिट पेपर्स उसी दिन दिनांक २७-९-७६ को पेश किया । तथा फोरमैन साहब से यह लिखित प्रार्थना की कि वह हमें कृपा करके रेलवे डाक्टर के पास चेक अप के लिये आदेश दें । मगर फोरमैन साहब नहीं माने और यह उत्तर दिया कि हम आपको रेलवे डाक्टर के पास नहीं भेजेंगे, तुम अपनी तरफ से भले जा सकते हो । प्रार्थी रेलवे डाक्टर के पास गया मगर डाक्टर ने यह कह कर प्रार्थी को लौटा दिया कि पहले तुम अपने लोको फोरमैन से आदेश कराओ । जब प्रार्थी रेलवे डाक्टर के पास से लोको लौटा तो प्रार्थी को यह आदेश मिला कि आप अभी तक एबसेन्ट चल रहे हैं । इस लिये आपको बयान देना होगा । प्रार्थी ने जैसा कि ऊपर पैरा ३ व ४ में वर्णित है, उसे कहा ।

५- यहकि प्रार्थी को लोको वाराणसी यह आदेश मिला कि तुम को असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर लखनऊ के पास सामने हेतु भेजा जा रहा है, जिस के लिये तुम को एक लिखित आदेश (22-8-76) और पास दिया जायेगा तथा प्रार्थी को १७-१० पर एक लिखित आदेश और पास दिया गया जिसे प्रार्थी ने दोनों कागजों पर दस्तखत कर के लिया और लखनऊ के लिये रवाना हो गया ।

६- यहकि प्रार्थी २९-९-७६ को असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर के सामने पेश हुआ, साहब ने बाबू को बुला कर प्रार्थी का केस पेश करने को कहा परन्तु दिन प्रति दिन दौड़ते रहने पर आखिर में दिनांक १९-१०-७६ को प्रार्थी को असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर ने यह आदेश दिया, तुम लोको शेड वाराणसी लौट जाओ और वहां जाकर ड्यूटी करो । तुम को इस विभाग पर एक चार्जशीट एस०एफ०-५ मिलेगी । तुम उस का उत्तर देना उस के बाद तुम को आगे आदेश दिया जायेगा ।

——— ३

७- यहकि प्रार्थी ने असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर से दो प्रार्थना की ।

(ए) यहकि प्रार्थी के पास की लौटने की अवधि समाप्त हो गयी है जिसको आप बढ़ाने की कृपा करें । और असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर ने प्रार्थी के पास की अवधि बढ़ाकर उसे ११-१०-७६ से १२-१०-७२ तक के लिये बैलिड कर दिया ।

(बी) प्रार्थी ने अपनी दूसरी प्रार्थना में कहा कि मैं लोको फोरमैन वाराणसी से एक लिखित आदेश लेकर आपके पास आया था अतः मुझे जाने के हेतु आपका भी लिखित आदेश मिलना चाहिये, जिससे कि आपके आदेशानुसार मुझे काम पर लगाया जा सके । इस पर ए० एम० ई० साहब ने मुझे कोई लिखित आदेश देने से इंकार कर दिया । और प्रार्थी को यह आदेश दिया कि जबतक आपको दूसरा आदेश न मिले, तब तक आप लखनऊ में ही रहें ।

८- यहकि प्रार्थी को ११।२१-१०-७६ का एक आदेश पत्र जिसमें कि प्रार्थी को डिस्चार्ज दिनांक २७-९-७६ को किया गया है, वह आदेश पत्र प्रार्थी को नित्य प्रति दिन दौड़ने के बाद दिनांक २५-११-७६ को दिया गया और यह कहा गया कि अब आपको हेड क्वार्टर जाने की कोई जरूरत नहीं है ।

प्रार्थना

प्रार्थी की यह प्रार्थना है कि आज ऐसे ऐसे कठिन समय में जबकि प्रार्थी के कन्धों पर विधवा बीमार माँ, तथा बीमार पत्नी जो कि इस समय प्रथम प्रसूति की अवस्था में है, घर का खर्च चलाना बड़ा ही दुष्कर हो गया है । तथा प्रार्थी ने न कोई अश्लीलता, न आज्ञा का उल्लंघन तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है । प्रार्थी केवल दुर्भाग्यवश हुद बीमार पड़ गया था जिस का उसके पास कोई विकल्प नहीं था और जिसके प्रमाण के लिये उसने मैडिकल फिट भी दिया । साथ ही साथ जैसा कि नौकरी में रहते हुये जो रेलवे पास दिया जाता है, वह भी उस को दिया गया पर उस की बैक डेट से असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर ने प्रार्थी को नौकरी से पृथक कर दिया । जो एक असंवैधानिक है । अतः श्रीमान जी से प्रार्थी प्रार्थना करता है कि उसे

11-C A5

:: ४ ::

उसकी नौकरी तथा वेतन मिलना चाहिये तथा उपर्युक्त प्रार्थना पर ध्यान देते हुये प्रार्थी का रेलवे प्रशासन के प्रति उचित व अनुचित व्यवहार को देखते हुये उस की पुरानी नौकरी देने की कृपा करें । प्रार्थी की दयनीय दशा को देखते हुये इस बार श्रीमान जी अवश्य कृपा करेंगे ।

प्रार्थी पुनः आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक रेल सेवा में रहेगा वह कभी रेल प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा । प्रार्थी नेक, ईमानदारी से अपनी नौकरी करता रहेगा । प्रार्थी की पत्नी का प्रथम प्रसूति काल करीब ही है जोकि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के लिये एक बड़ी समस्या का विषय है । प्रार्थी का सारा परिवार आपका आजन्म आभारी रहेगा ।

धन्यवाद,

प्रार्थी,

कमल स्वरूप गौड़
30-11-76

(कमल स्वरूप गौड़)
टोकन खलासी,
नम्बर - १८८४,
लोको शेड, वाराणसी

दिनांक: ३०-११-१९७६ ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित :-

१- श्रीमान पं० कमलापति जी त्रिपाठी, रेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

२- श्रीमान पं० मायापति जी त्रिपाठी, अध्यक्ष, उ०प्र० किसान मजदूर वाहिनी, लखनऊ ।

३- वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, लखनऊ ।

(कमल स्वरूप गौड़)

Attested
True copy (Translation)
Srivastava
Advocate

Annex-No.'6'

Northern Railway. Divl. Supdt.'s Office, Lucknow. (13)

No. 170E/1-5/Kamal Swaroop Gaur.
Dated:- 5/1/77.

Notice.

Sri Kamal Swaroop Gaur ex. empanelled Substitute Cleaner/BSB who has been treated as deemed to have resigned from service in terms of para 732 RI w.e.f. 27.9.76 vide AME/LKO notice of even no. dated 19/21-10-76, later on his appeal dated 30.11.76 Sr. DME/LKO has passed the following orders.

"I have gone through the appeal carefully and find that not much substance is contained in the appeal. However, since he has asked for apology and wants to be tried out again he is being considered as such he has however, on 23.12.76 represented that he be posted at FD instead of BSB. He be taken back to duty and he posted at FD. His working be watched for the next six months and if he does not come up to the mark he be discharged again. He be told as such in writting."

In view of the orders of Sr. DME above Sri Kamal Swroop ex. subs. cleaner/BSB is re-appointed as substitute cleaner and posted at FD shed on Rs. 196/- in Gr. Rs. 196-232 (RS). His past services will not be counted for any purpose.

Movement may be advised. He has got the approval of Sr. DME

(Chandu Lal)
Asstt. Personnel Officer,
N.Rly., Lucknow.

Copy for information and necessary action to:-

1. Loco foreman- FD. He will please watch the working of Shri Kamal Swroop Gaur for six months and sent his report without fail.
2. LF/BSB.
3. Sr. DAO/LKO.
4. Sr. DME/LKO.
5. Sri Kamal Swroop Gaur ex. Subs. cleaner/BSB.
6. Case file No. 220E/1-5/72/Cleaner.

He be posted at FD as ordered above 15/1/77

"Chaturvedi"

LF/FD

Attested True Copy

(ग) Annex No. '7' (14)

A32

सेवा में,

श्रीमान मण्डल अधीक्षक महानदय,
उत्तर रेलवे, हजरतगंज, लखनऊ ।

विषय: एक दुखी इंजन क्लीनर की प्रार्थना ।

महोदय,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ इंजन क्लीनर टिकट नं० १७१ आपके लोको शेड फैजाबाद में काम करता है जो आप से निम्नलिखित प्रार्थना करना चाहता है :-

१- यहकि प्रार्थी गौड़ आज लगभग ७ साल से एक सच्चे देश नागरिक वफादार नौकर की हैसियत से रेल की सेवा करता रहा है। प्रार्थी ने गत मई १९७४ की रेल हड़ताल में दिन रात रेल प्रशासन की सेवा की है तथा आज तक अपनी इस छोटी सी रेल सेवा में एक आदर्श कर्मचारी का प्रतीक रहा है प्रार्थी न कभी सस्पेण्ड हुआ न कभी अधिक गैरहाजिर हुआ न किसी प्रकार के अपराध में शामिल हुआ। न कभी कोई चार्जशीट ही प्रार्थी को मिली। प्रार्थी सदैव अपना कार्य बड़ी कुशलता से करता आ रहा है।

२- यहकि प्रार्थी बड़े दुख के साथ लिख रहा है कि प्रार्थी जब सन् ७६ में लोको शेड लखनऊ में काम कर रहा था उसे बगैर किसी अपराध के दिनांक ३१-३-७६ को रूल न० १४९ आर० प्रथम की नोटिस देकर दिनांक ११-४-७६ को सेवा से निकाल दिया गया था परन्तु प्रार्थी इसधारा को समझने से वंचित रह गया कि प्रार्थी को रेल प्रशासन द्वारा इस अपराध का भागी क्यों बनाया गया है। प्रार्थी ने श्रीमान सीनियर डी०एम०ई० महोदय के पास इस रूल नं० १४९ आर० प्रथम की अपील जिस की कापी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, की थी यह सीनियर डी०एम०ई० महोदय की दया ही थी कि उन्हों ने प्रार्थी को १-५-७६ को पुन: ड्युटी देकर प्रार्थी के सब परिवार पर बड़ी सहानुभूति प्रकट की थी तथा प्रार्थी को रेल सेवा करने का मौका दिया था। इन सब तमाम दया के बाद प्रार्थी को यह जानकर बड़ी तकलीफ हुई जब उसे यह पता चला कि उस की नौकरी नई (रि इन्गेजमेन्ट) कर दी गयी है। जबकि प्रार्थी ने अपनी तरफ से आज तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। जिस की इतनी बड़ी सजा प्रार्थी को दी गयी है।

क्रमश:---३

३- यहकि सीनियर डी०एम०ई० महोदय ने प्रार्थी को पुन: लोको शेड वाराणसी में पोस्ट किया था। वहाँ पर प्रार्थी के साथ बराबर दुर्व्यवहार किया जाता रहा। प्रार्थी अपनी डियूटी पर रहते हुये उसे गैर हाजिर कर दिया जाता था और डराया धमकाया जाता था क्योंकि प्रार्थी को लोको फोरमैन श्री ~~के०एस०~~ भारद्वाज के बंगले परकाम करने को मजबूर किया जाता जो प्रार्थी करने में असमर्थ था। कुछ लोगों ने एक दिन प्रार्थी परहाथ भी चलाया था मगर प्रार्थी अपनी जान बचा कर भाग निकला था। इस की सूचना लोको फोरमैन वाराणसी से न कर लखनऊ सीनियर डी०एम०ई० महोदय को लिखित रूप में की थी मगर उसका कोई नतीजा नही निकला था। उस पर भी प्रार्थी अपनी डियूटी बराबर मेहनत, ईमानदारी से करता रहा था, चाहे उसे रनिंग रूम में बैरेका काम ही क्यों न करना पड़ा हो। इस का एक नतीजा प्रार्थी को यह भी भुगतना पड़ा कि दिनांक ५-२-७५ को प्रार्थी के पूज्य पिता जीका स्वर्गवास हो गया था तथा प्रार्थी अपनी डियूटी पर लोको वाराणसी में मौजूद था। और उस के घर वालों ने हजरतगंज आफिस आकर शाम को लगभग १८ बजे पावर कन्ट्रोल से यह प्रार्थना की कि आप कमल स्वरूप गौड क्लीनर जो लोको शेड वाराणसी में पोस्ट हैं उसके पिता जी के मरने की खबर देदें। तो उसी समय लखनऊ पावर से लोको वाराणसी बुकिंग आफिस में मेसेज दिया गया मगर आन डियूटी बुकिंग क्लर्क श्री शुक्ला जी ने प्रार्थी को यह खबर तक नही दी जबकि दूसरे दिन भी दिनांक ६-२-७५ को दिन के ६ बजे दूसरी बार पावर ने मेसेज दिया था। मगर उसकी भी खबर प्रार्थी को नही दी गयी। जिस की वजह से प्रार्थी अपने पिता जी की लाश तक भी नही देख पाया था। प्रार्थी जब अपने पिता जी का अन्तिम संस्कार से छुटटी पाकर अपनी डियूटी पर लौटा तो उसी बाबू से प्रार्थी ने पूछा तो बाबू ने एक रटा हुआ जवाब दिया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नही हैं। इसकी लिखित रिपोर्ट जब प्रार्थी ने लोको फोरमैन को दी तो उन का जवाब भी अपने तुक का था। वह बोले कि बाप तो सभी के मरते हैं इस में दुख की क्या बात है और प्रार्थी को काम पर जाने के लिये वापस कर दिया। इस तरह प्रार्थी डरता हुआ अपनी नौकरी करता रहा और आंसू बहाता रहा

४- यहकि फोरमैन भारद्वाज समय समय पर प्रार्थी को परेशान करते रहे

----३

834

और बदले की भावना से प्रार्थी को तरह तरह से सताते रहे। इस बीच प्रार्थी की विधवा माँ की तबीयत खराब हो गयी तथा उनकी उनकी एक आंख में नासूर हो गया जो अभी भी है। प्रार्थी को इस की सूचना मिलने पर प्रार्थी छुट्टी लेकर अपने घर माँ का उपचार कराने हेतु गया था। इस बीच प्रार्थी का दुर्भाग्य ही था कि उसकी तबीयत खराब हो गयी। प्रार्थी अपनी बीमारी की सूचना अपने हेड क्वार्टर को बराबर देता रहा था। प्रार्थी जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और डियूटी करने काबिल हो गया तो वह अपने लोको शेड वाराणसी गया और अपनी फिट मीमो जमा की मगर फोरमैन साहब ने उसे दिनांक २८-९-७६ को ए०एम०ई० महोदय के पास सामने के हेतु भेजा जिस का पास नं० ५८२०१३ है तथा एक लेटर दिया। प्रार्थी लखनऊ चला आया। लखनऊ में ए०एम०ई० सामना किया तो उन्होंने बाबू से प्रार्थी का रिकार्ड मांगा। नित्य प्रतिदिन दौड़ने के बाद दिनांक ११-१०-७६ को प्रार्थी से ए०एम०ई० साहब बोले कि आप अपने हेड क्वार्टर लौट जायें आप को एस०एफ० ५ चार्जशीट मिलेगी आप इस का जवाब जब देंगे तब अगला आदेश आपको दिया जायेगा। तब प्रार्थी ने महोदय से यह कहा कि मेरे पास की इंट निकल गयी है अत: जाने हेतु इंट बढ़ा दें इस पर ए०एम०ई० महोदय ने प्रार्थी के पास पर इंट दिनांक ११-१०-७६ तथा १२-१०-७६ के लिये दी। इसके बाद प्रार्थी ने यह कहा कि एक लेटर मुझे लोको फोरमैन वाराणसी के लिये दें तथा मुझे आज १३ दिन हुये है इस का एक प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस पर ए०एम०ई० साहब बिगड़ कर बोले कि अब तुम को लिखित कागज और नहीं मिलेगा चाहे तुम जाओ या न जाओ। इसी समय प्रार्थी ने उन से यह प्रार्थना की कि और कोई लोको फोरमैन के वास्ते कोई लेटर न होने पर वहाँ हम को डियूटी नहीं मिलेगी। इस पर ए०एम०ई० साहब बोले कि जब तक आप को दूसरा आदेश न मिले आप वापस न जायें।

५- इस तरह दिन बीतते रहे तथा प्रार्थी रोज ए०एम०ई० साहब के आफिस के बाहर बैठा रहता था तथा कभी सीनियर डी०एम०ई० साहब से मिलता था मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अन्त में दिनांक २०-१०-७६ को दूसरी बार नौकरी से निकालने का आदेश दिया। जबकि प्रार्थी को दिनांक २५-११-७६ को रूल नं० ७३२ आर प्रथम का नोटिस मिला जिस में प्रार्थी को बैक इंट से दिनांक २७-९-७६ ए०एम०

----४

135

का लिखित आदेश मिला तथा ए०एम०ई० साहब ने प्रार्थी से यह कहा कि अब तुम को अपने हेड क्वार्टर लौटने की जरूरत नही है ।

६- यहकि प्रार्थी ने दिनांक ३०-११-७६ को एक प्रार्थना पत्र सीनियर डी०एम०ई० महोदय को जिसमें आदेश नं० १७० ई० ५० १-५ कमल स्वरूप गौड़ १६।२१-१०-७६ का एक डिस्चार्ज नोटिस जिसकी कापी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, दिया । नित्य प्रतिदिन दौड़ने के बाद सीनियर डी० एम० ई० महोदय ने कहा तुम अपनी बदली फैजाबाद करा लो यह लिख करके दो । प्रार्थी ने अपने नोकरी को देखते हुये केवल इतना लिखा कि प्रार्थी को स्तरान नही है आप चाहे तो प्रार्थी की बदली लोको वाराणसी से लोको फैजाबाद कर सकते है, यह प्रार्थी ने अनिच्छा से लिखा था । इस तरह के न जाने कितने प्रार्थना पत्र प्रार्थी से इस हुक्के दुखमयी जान लेवा इमरजेन्सी में लिखवाये जो प्रार्थी भी एक बेबस, बेसहारा की तरह लिखता रहा । अगर प्रार्थी कुछ बोलता तो शायद उसे और इस से ज्यादा सताया जाता । इसी बीच प्रार्थी की साइकिल चोरी भी हेड आफिस से हो गयी । सब दिनोंकी तरह प्रार्थी दिनांक २०-७-७६ को दिन के लगभग १३बजे सीनियर डी० एम०ई० साहब से मिलने आया था तथा अपनी किराये की साइकिल जिस का नं० ३८४०१८ स्वन है ताला बन्द कर रख कर सीनियर डी० एम० ई० साहब से मिलने गया था इस बीच प्रार्थी की साइकिल आफिस से चोरी हो गयी थी जिस की रपट थाना हजरतगंज में दिनांक २३-७-७६ को लिखाई है । अभी तक न तो साइकिल ही मिली तथा प्रार्थी ने साइकिल के रकम की अदायगी के रूप में उस दुकानदार को उसकी कीमत जोकि २७०) रु० है नही दे पाया है । यह प्रार्थी को इमरजेन्सी की मैट चढाना पड़ा ।

७- यहकि प्रार्थी को जब लोको शेड फैजाबाद में पोसट किया गया और उसे जाने के लिये कहा गया तो प्रार्थी ने पास के लिये प्रार्थना की । तथा दिनांक ५-१-७७ को दूसरे ए० एम०ई० साहब ने उस पास पर लोको फैजाबाद जाने के लिये डेट दी जिस पास पर प्रार्थी लोको वाराणसी से सामने के लिये आया था तथा एक बार वापस जाने के लिये उसी पास पर डेट दी जा चुकी थी तथा बाद में उसी पास पर रेल सेवा से मुक्त किया जा चुका था जिस का पास नं० ५८२०१३ है । जब प्रार्थी लोको शेड फैजाबाद गया तो वहां पर फोरमेन साहब ने

A36

प्रार्थी को डियूटी देने से इंकार कर दिया और कहा कि तुम जाकर पहले लैटर तथा स्ल०पी०सी० लेकर आओ तब तुम्हें डियूटी देंगे । प्रार्थी ने लौटने के लिये पास मांगा तो कोई भी लिखित कागज देने से इंकार कर दिया ।

८- यहकि प्रार्थी दिनांक ७-१-७७ को अपने खर्चे से [redacted] ८३ वप से लखनऊ वापस आया तथा दिनांक ८-१-७७ को ए०एम०ई० साहब से मिला । तो ए०एम०ई० साहब ने कहा कि सीनियर डी०एम०ई० से मिले । जब सीनियर डी०एम०ई० साहब मेले से दिनांक १५-१-७७ को लौटे तो प्रार्थी ने उनसे यह प्रार्थना की कि हमें लोको शेड फैजाबाद में डियूटी नही दी गयी है पहले तो डी०एम०ई० साहब बहुत नाराज हुये और प्रार्थी को डाटा बाद में प्रार्थी से वह लेटर मांगा जो प्रार्थी को हेड आफिस से मिला था उस पर डी०एम०ई०ण साहब ने लोको फोरमैन फैजाबाद के लिये नोट लिखा और बोले आप यह जाकर लोको फोरमैन को दे दें । इसी दिन दिनांक १५-१-७७ को फैजाबाद डियूटी लेने हेतु पास दियागया जिसका नं० ३२५०३५ है । प्रार्थी दिनांक १६-१-७७ को जब लोको शेड फैजाबाद गया तो प्रार्थी के साथ वहां परअनुचित व्यवहार किया गया तथा प्रार्थी को रोके रखा । प्रार्थी को दिनांक १६-१-७७ को फोरमैन साहब ने डियूटी दी । जबकि प्रार्थी पास ५-१-७७ तथा १५-१-७७ को दिया गया था और पेमेन्ट उसे १६-१-७७ से किया गया जो एक अवैधानिक है तथा जो पास प्रार्थी लोको वाराणसी से २८-६-७६ को लेकर सामने हेतु आया था उसी पास पर लगभग ४ माह बाद फिर डियूटी के लिये यात्रा करे इस बात कोभी प्रार्थी नही समझ पा रहा है ।

६- यहकि प्रार्थी को आजभी लोको फैजाबाद में परेशान किया जा रहा है, फोरमैन आजभी प्रार्थी की रिपोर्ट डरा धमका कर जमादार तथा बाबू लोगों से मांगते हैं तथा प्रार्थी की रिपोर्ट न देने पर जमादार को ट्रान्सफर की धमकी भी दे चुके हैं। जिस से प्रार्थी दहसत में अपनी डियूटी कर रहा है जाकि उस के सामने एक समस्या का विषय है । लोको फोरमैन ने प्रार्थी से पाखाना तक उठवाने कीधमकी दी है ।

१०- यहकि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति दिनांक ११-४-७६ से इमरजेंसी

-----६

A37

समय से आज तक खराब चल रही है जबकि प्रार्थी के कन्धों पर विधवा बीमार माँ तथा पत्नी और एक बच्ची को बोझ इस भयंकर मंहगाई में है तथा प्रार्थी की पत्नी के पहला बच्चा दिनांक २५-२-७७ को पैदा हुआ है। प्रार्थी की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सिविल सर्जन के अनुसार पत्नी की देख भाल करना बहुत जरूरी है। जिसकी देखभाल तथा उपचार कराने वाला प्रार्थी के अलावा और कोई नहीं है इस लिये प्रार्थी ने दिनांक ६-४-७७ से दिनांक ६-५-७७ तक छुट्टी ली थी उसे भी एल० डब्लू०पी० कर दिया गया है। जबकि यह उपचार छुट्टी हेतु आफिस से मंजूर है आज तक प्रार्थी कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी विधवा बीमार माँ तथा बीमार पत्नी का उपचार कराता रहा। मगर आज आप से अपने बीबी बच्चों की दोहाई देकर न्याय की भीख माँगता है।

प्रार्थना

प्रार्थी की यह प्रार्थना है कि आज कल के इतने कठिन समय में जबकि प्रार्थी के कन्धों पर विधवा बीमार माँ तथा बीमार पत्नी जोकि दो माह पहले प्रसूति की अवस्था में थी तथा अभी भी बीमार स्थिति में है और घर का खर्च चलाना बड़ा ही दुष्कर हो गया है। तथा प्रार्थी ने न कोई अश्लीलता न आज्ञा का उल्लंघन तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है प्रार्थी केवल दुर्भाग्य वश खुद बीमार पड गया था जिस का उस के पास कोई विकल्प नहीं था। और जिस के प्रमाण के लिये उस ने मेडिकल फिट मेमो भी दिया साथ ही साथ जैसा कि नौकरी में रहते हुये ड्यूटी पास किया जाता है वह भी उस को दिया गया। मगर उस की बैक डेट से ए० एम० ई० साहब ने प्रार्थी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जो एक अवैधानिक है जैसा कि सीनियर डी० एम० ई० साहब ने प्रार्थी से कहा कि तुम्हारी वर्किंग खराब है तो उस के लिये प्रार्थी यह दावा करता है कि कम से कम ३० ड्राइवरों के साथ मेन लाइन पर महीनों काम करने पर आज तक कोई भी बैड वर्किंग की चार्जशीट या रिमार्क न मिलने पर या कोई ड्राइवर की न रिपोर्ट होने पर यह भी कहना गलत है।

अत: श्रीमान् जी से प्रार्थी यह प्रार्थना करता है कि उसे उसकी पुरानी नौकरी तथा वेतन मिलना चाहिये। उपरोक्त प्रार्थना पर ध्यान देते हुये प्रार्थी का रेलवे प्रशासन के प्रति उचित व अनुचित व्यवहार को देखते हुये पुरानी

A38

नौकरी देने की कृपा करें प्रार्थी की दयनीय दशा को देखते हुये इस बार श्रीमान जी अवश्य कृपा करेंगें । अगर श्रीमान जी चाहे तो प्रार्थी की पत्नी का मेडिकल चेक अप करा सकते है ।

प्रार्थी पुन: आप को विश्वास दिलाता है कि जब तक रेल सेवा में रहेगा वह कभी रेल प्रशासन के विरूद्ध कार्य कार्य नही करेगा । प्रार्थी नेक ईमानदारी से अपनी नौकरी के माध्यम से देश की सेवा कर प्रगति के उच्च शिखर पर देश को पहुंचाने में ~~प्रयत्न~~ प्रयत्नशील रहेगा । प्रार्थी की ~~प्रथम~~ पत्नी का प्रथम प्रसूति कार्य दो माह पहले ही हुआ है । जो धनाभाव में काफि कमजोर अस्वस्थ है । तथा उस का उपचार कराना बहुत जरूरी है जोकि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के लिये ~~एक~~ बडी समस्या का विषय है । प्रार्थी आशा नही पूर्ण विश्वास के सथ यह आशा करता है कि प्रार्थी को उसकी पुरानी नौकरी तथा वेतन दिलाकर उपकार भागी बनेंगें । प्रार्थी का सारा परिवार आप का आजन्म आभारी रहेगा ।

दिनांक: ६-५-७७

प्रार्थी,

[signature]

(कमल स्वरूप गौड़)
इंजन क्लीनर, न. ९६८
लोको शेड, फैजाबाद ।

Attested
True Copy
[signature]
Advocate

Annex No-'8'

(13) (15)

सेवा में,

श्रीमान मंडल अधीक्षक महोदय,
उत्तर रेलवे, हजरतगंज,
लखनऊ

विषय — प्रार्थी से जबरन रेल सेवा से त्यागपत्र लिखवाना।

महोदय, प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ इंजन क्लीनर टिकट नम्बर १७१ आप से निम्न-लिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि प्रार्थी उत्तर रेलवे लोको शेड फैजाबाद में कार्यरत है जिसे आज दिनांक १-६-७७ को सीनियर डी० एम० ई० (जी० के० मल्होत्रा) के आदेश पर उनसे मिलने आया था प्रार्थी को आने जाने के लिए पास या किसी प्रकार का लिखित आदेश नहीं दिया गया था आज प्रातः आज्ञा पाकर जब उनसे मिलने गया उन्होंने मुझे एक टाइप किया कागज देते हुए कहा कि तुम इस पर दस्तखत कर दो मैंने सी० डी० एम० ई० से यह जानना चाहा कि यह किस प्रकार का कागज है उस पर वह गरम होकर बोले कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमारे पास है अच्छा यही होगा कि तुम इस पर दस्तखत कर दो नहीं तो हम तुम्हें मीसा में बन्द करा देंगे। मैं बहुत डर गया कि जरूर मुझे कोई खतरनाक षड़यंत्र में फंसाया जा रहा है इस पर प्रार्थी ने उनसे प्रार्थना कि दिनांक १.२.७१ (भर्ती की तारीख) से आज तक न कभी आपने मुझे कोई चार्जशीट या रिमार्क या किसी प्रकार की छोटी बड़ी सजा तक नहीं दी है और न ही आज तक मैंने किसी प्रकार की गलती की है इसलिए मैं बिना कागज पढ़े दस्तखत नहीं करूँगा। इस पर उन्होंने मुझे अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने दो मिनट में दस्तखत नहीं किये तो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे और फोन उठा लिया मैं उस समय बहुत ज्यादा घबरा गया था और अपने बचाव के लिए मन ही मन सोचने लगा अन्त में विचार कर मैं वहाँ से भाग कर श्रीमान जी के पास पहुँचना चाहता था और मैं वहाँ से भागा मगर मेरी तकदीर ने साथ नहीं दिया क्योंकि गेट बाहर से बन्द था मैं वहीं रुकने पर मजबूर हो गया सी० डी० एम० ई० ने मुझे कड़ी आवाज में आदेश दिया कि तुम दस्तखत करना चाहते हो या मीसा में बन्द होना चाहते हो तब प्रार्थी ने उनसे यह निवेदन किया कि मैं नहीं जानता कि आप ने मुझे किस अपराध के आधार पर मीसा में बन्द करा देने को कहा है कृपा कर आप या तो मेरा अपराध बतायें या उस कागज को पढ़ने दें तभी मैं दस्तखत करूँगा इस पर सी० डी० एम० ई० ने कहा अब तुमको मीसा बन्दी से कोई नहीं बचा पायेगा तभी कोई फोन आने पर बात करने लगे मैं उस समय बहुत ज्यादा मीसा बन्दी से भयभीत हो गया था क्योंकि मेरा परिवार पहले से ही मीसा के अन्तर्गत पीड़ित है मेरा सगा भाई सतीश चन्द गौड़ इमरजेन्सी के दौरान से अब तक लगभग १६ माह मीसाबन्दी के तहत लखनऊ माडल जेल में बन्द रहा जो आज कल पैरोल पर है। इसी दौरान मेरे पिताजी का निधन हो जाने के कारण मेरा पूरा परिवार दुखी रहता था पारिवारिक परेशानी उस पर सी० डी० एम० ई० द्वारा मीसा बन्दी के तहत मेरी गिरफ्तारी से इतना ज्यादा आतंकित हो गया कि मेरी उस समय सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो गयी मेरा दिमागी सन्तुलन बिगड़ गया

जिसका पूरा नाम उनांया सी० डी० एम० ई० जिन्होंने स्थिति को समझते ही-
जबरन उस कागज पर दस्तखत करवा लिये इस प्रकार उन्होंने मुझसे जबर्दस्
बन्द कमरे में शीसा बन्दी से भयभीत कर उस कथित त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करवा
कर मजूरी देते हुए तथा एक कागज मुझे देकर बाहर जाने का आदेश दिया।

2. यह है कि प्रार्थी को आपतकाल के दौरान दो बार बिना चार्जशीट, रिमार्क या
किसी प्रकार की नोटिस दिये ही अवैधानिक रुप से सेवामुक्त कर दिया। जिसकी
अपील आज भी श्रीमान जी के कार्यालय में प्रस्तुत है प्रार्थी यह खुद नही जानता
कि उसको बार-2 क्यों सताया जा रहा है जबकि मेरे कार्य से सभी ड्राईवर
सेन्टर, फायरमैन, शेड मैन, लोको फोरमैन यहां तक अधिकारी गण सभी सन्तुष्ट
है। प्रार्थी ने मेन लाइन पर ट्रेन वर्क किया है मई सन् 74 में दिन-रात-
(एल. एफ. एफ. डी.) ट्रेन वर्क किया तथा प्रशासन की नाजुक स्थिति में कड़ी-
मेहनत ईमानदारी से सेवा की है। तथा हड़तालियों द्वारा पीटे जाने के बावजूद
भी अपना कार्य कुशलता से करता रहा है आज उसी [crossed out] कर्मचारी को
धोखे से नाजायज तरह से सेवा से वंचित करना क्या सी० डी० एम० ई० महो
को शोभा देता है अगर आज मेरा भाई शीसाबन्दी के चक्कर में न
फंसा होता तो वह मुझसे किसी हालत में हस्ताक्षर नही करा पाते
उन्होंने ने हमारे मासूम बच्चों को भूखा मार कर बड़ा अन्याय किया है
जिसका फल उन्हें जरूर मिलेगा यह सत्य है।

प्रार्थना

अन्त में प्रार्थी शपथ सहित यह प्रार्थना करता है कि उसने अपनी रेल सेवा से
कोई त्यागपत्र नही दिया है आज दिनांक 1-6-66 को जो कथित त्यागपत्र पर
सी० डी० एम० ई० ने बन्द कमरे में शीसाबन्दी सहित धमकियों से आतंकि
कर धोखे से जबरन हस्ताक्षर कराकर मन्जूरी दी है वह नाजायज है
अवैध है मैंने अपनी इच्छा से अपनी रेल सेवा से कोई त्यागपत्र नही दिया है मुझे
मजबूर किया गया है प्रार्थी आप को इस कांड के तुरन्त बाद श्रीमान जी के
ही लिखित पूर्ण विवरण के साथ उसकी सूचना दे रहा है साथ ही श्रीमान जी
से प्रार्थी अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की जांच तथा सी० डी० एम० ई० द्वारा किये गये
अन्याय की जांच की मांग करता हुआ यह प्रार्थना करता है कि उसके ऊपर
पत्नी तथा बच्चे सहित एक गरीब परिवार का भार है जो इस सहारे की रोटी के
बिना भूखे मर जायेंगे। प्रार्थी अपने बच्चे की सौगंध सहित यह विश्वास दिलाता है
कि उसने अपनी इच्छा से कोई त्यागपत्र नही दिया है प्रार्थी बड़ी आशा के
साथ पुलिस स्टेशन न जाकर श्रीमान जी को लिखित सूचना देकर यह आशा
रखता है कि श्रीमान जी उसके साथ न्याय जरूर करेंगे तथा प्रार्थी को रेल सेवा
करने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

प्रार्थी परिवार सहित आजन्म आपका आभारी रहेगा।

उपरोक्त लिखित विवरण सभी सत्य है।

दिनांक
1-6-66

प्रार्थी

Attested
True copy
R B Srivastava
Advocate

पता- 104 बान वाली गली चौक, लखनऊ

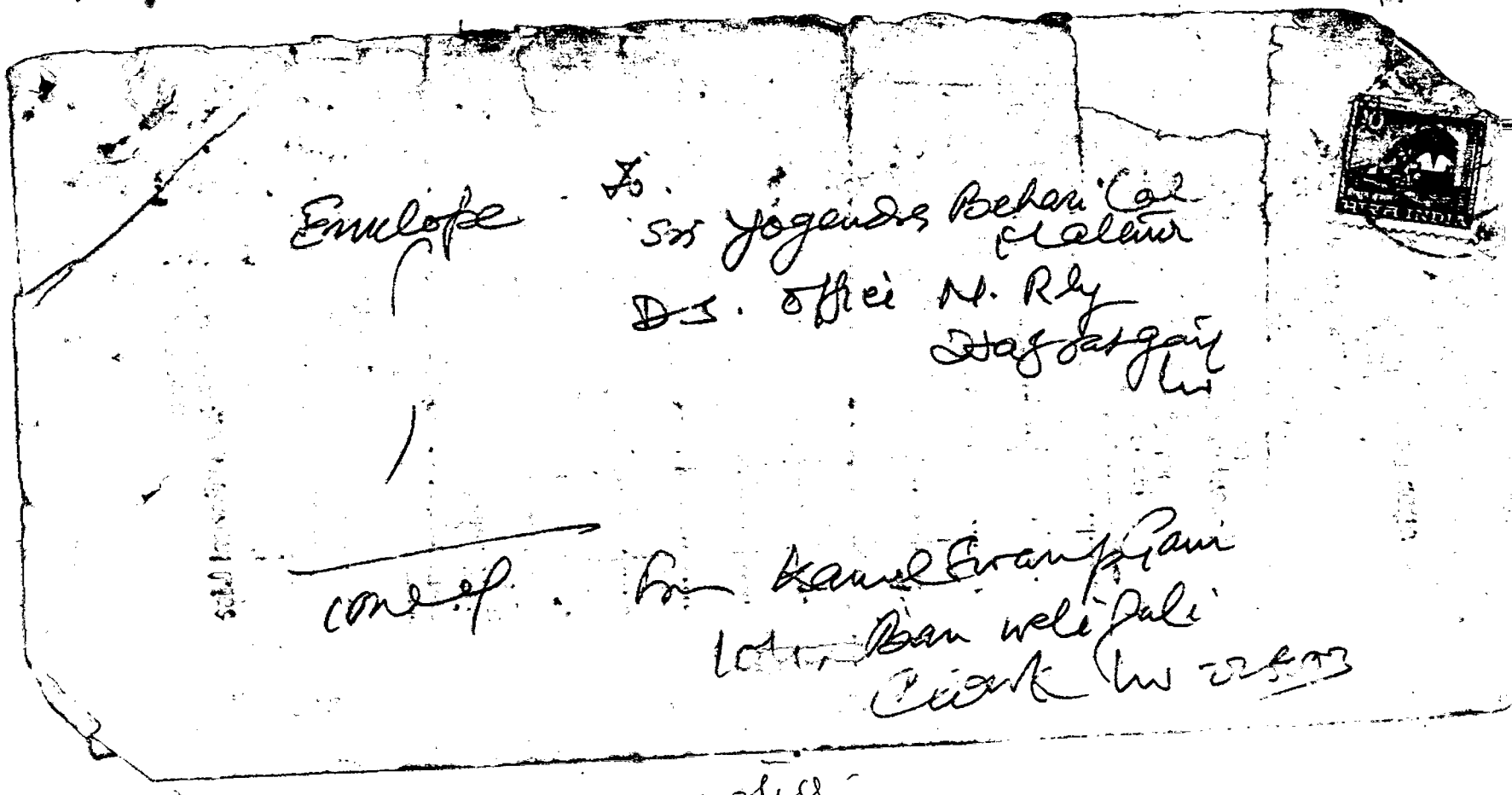

AM1

Envelope

To
Sri Yogendra Behari Lal Mathur
D.S. Office N. Rly
Nagarganj
Lu

Cover of

From Kamal Evam Pium
[illegible] Ban wali Gali
Chowk Lu

Attested
True Copy
[illegible]
Advocate

A42

इन दि आनरेबुल हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद,

लखनऊ बेन्च, लखनऊ

रिट पिटीशन नं० आफ 1980

कमल स्वरूप गौड़ ...... पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स .... अपोजिट पार्टीज

एनेक्जर नं० 13

श्रीमान् महा प्रबन्धक महोदय,

उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस,

नई दिल्ली ....

विषयः- आपात काल में निकाले गये लोको कर्मचारी चारबाग की पुनः नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ इन्जन क्लीनर टिकट नं० 171 आपात काल के दौरान रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(1) प्रार्थी 1-1-1971 को लोको शेड चारबाग में इन्जन क्लीनर के पद पर भर्ती हुआ था। आज तक रेलवे के रिकार्ड में कहीं भी उसके खिलाफ किसी भी अधिकारी को उसके प्रति कोई आपत्ति नहीं रही और उसका सर्विस रिकार्ड भी अच्छा माना जाता है। आज तक किसी हड़ताल में भी शामिल नहीं हुआ।

(2) प्रार्थी को इमरजेन्सी में दो बार सेवा से मुक्त कर दिया गया और दोनों बार प्रार्थी को नई नौकरी दी गई। इस प्रकार से अधिकारियों ने उसकी सीनियार्टी को समाप्त कर दिया। समय समय पर धोखा तथा नसबन्दी की धमकियाँ दी जाती हैं।

(3) प्रथम बार 12-3-1976 को 149 आर०-1 के अन्तर्गत सेवा से मुक्त कर दिया गया उसका कोई कारण नहीं बतलाया गया। प्रार्थी ने 7-6-1976, 15-7-76, 13-10-1976 को प्रार्थना की किस कारण से प्रार्थी को सेवा से मुक्त कर दिया गया परन्तु अधिकारियों ने बताने से इन्कार कर दिया।

(4) द्वितीय बार 732 आर०-1 के अन्तर्गत 27-[illegible]-1976 को फिर सेवा से मुक्त कर दिया गया। पुनः 25-11-1976 को नोटिस दिया,

A43

[illegible] की कि [illegible] बताने [illegible] [illegible] [illegible] था । [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है । [illegible]
दौरान मैं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
है । प्रार्थी ने ३०।१०।१९७६ को [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible] किया गया और ७।०।७७ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] दे दी गई । प्रार्थी ने १०।०।७७ [illegible] [illegible]
[illegible] को [illegible] के लिये प्रार्थना [illegible] ।

७ दिनांक १०।७।१९७७ को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
के नियुक्ति के [illegible] [illegible] [illegible] हुआ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कर दी गई को [illegible] [illegible]
देंगे । मैंने उनके [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है । [illegible]
[illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
उन्होंने [illegible] [illegible] हुई है जो मेरे [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible]
१०।७।१९७७ को [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]
की [illegible] हुआ उसकी [illegible] [illegible] [illegible] में दी ।

८ दिनांक १०।७।१९७७ के [illegible] [illegible] [illegible] मैं [illegible] [illegible] [illegible]
समय [illegible] पद मैं [illegible] [illegible] रहा हूँ । [illegible] [illegible] [illegible]
७।८।१९७७ को [illegible] [illegible] [illegible] को प्रार्थना पत्र दिये [illegible]
[illegible] [illegible] नहीं मिला । ७।८।१९७७ को प्रार्थी ने [illegible] [illegible]
[illegible] (भारत सरकार) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
दिये परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला ।

Attested True Copy (Two pages)
D.B. Srivastava Advocate

[illegible] मैं [illegible] से [illegible] प्रार्थना [illegible] [illegible] [illegible]
प्रार्थी को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] जो [illegible] है । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हूँ । [illegible]
[illegible] [illegible] मैं [illegible] [illegible] [illegible] हूँ । [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
उपरोक्त [illegible] की प्रार्थी के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] आपका होगा ।
[illegible] [illegible] [illegible] ३०५/११० [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

इन दि आनरेबुल हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर [illegible]

लखनऊ बैन्च, [illegible]

रिट पिटीशन नं0 [illegible]

रमा शंकर गौड़ ------ [illegible]

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स ----- [illegible]

एनेक्सर नं-14

प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान महा प्रबन्धक महोदय,
उत्तर रेलवे मुख्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली।

महोदय,

प्रार्थी रमा शंकर गौड़ [illegible]
[illegible] है।

(1) यह कि प्रार्थी आपके उत्तर रेलवे [illegible] था जिसे [illegible] बोनस [illegible] से सेवा मुक्त कर दिया गया था। जिसके [illegible] 1970 को श्रीमान जी से सेवा में [illegible] प्रस्तुत की थी। जिसके विषय में प्रार्थी को [illegible]

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी के [illegible] ऊपर निर्भर माँ, पत्नी, तथा [illegible] स्थिति में हैं। आपसे न्याय की भीख माँगता हूँ। मैं अपने [illegible] सौगंध खाकर आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कोई [illegible] मैं निर्दोष हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ [illegible] को [illegible] की आज्ञा प्रदान करेंगे।

प्रार्थी जीवन भर आपका आभारी रहेगा।

दिनांक अप्रैल 7, 1970

पताः---
104, [illegible] गली, चौक, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी- [illegible]
[illegible]
उत्तर रेलवे [illegible]
[illegible]

Attested
True Copy -
[signature]
Advocate

इन दि आनरेबुल हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद,
लखनऊ बेन्च, लखनऊ

सन 1980

रिट पिटीशन नं0 पिटीशनर

कमल स्वरूप गौड़ ------

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स ----- अपोजिट पार्टीज

एनेक्चर नं0 15 ---

सेवा में,

श्रीमान मंडल रेलवे प्रबन्धक महोदय,

उ0रे0हजरतगंज, लखनऊ ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मुझे इमरजेन्सी के दौरान [illegible] एम0ई0 ने तरह-तरह की ज्यादतियाँ [illegible] की [illegible] कर दिनांक 1-6-77 को मेरी रेल-सेवा से [illegible] दस्तखत कराकर सेवा से मुक्त कर दिया था [illegible] समय दिनांक 1-6-77 को थी तथा दिनांक 2-6-77 को [illegible] एवं दिनांक 8-12-78, 7-4-79, 18-5-79, 16-7-79 को प्रार्थना [illegible] किये परन्तु आज तक मुझे आपके द्वारा कोई उत्तर या न्याय नहीं मिल [illegible] ।

अतः अब मेरे पास कोई और विकल्प शेष नहीं रह [illegible] द्वारा न्याय पा सकूँ इसलिये आप से मेरी यह प्रार्थना है कि [illegible] आशा वेकेन्सी में अपने अधिकारों के लिये न्यायालय का [illegible] आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना के आधार पर [illegible] की कृपा करेंगे ।

प्रार्थी,

(कमल स्वरूप गौड़)

[illegible]

171, [illegible]

फैजाबाद ।

दिनांक: 1-8-1979

पता

कमल स्वरूप गौड़

104 [illegible] वाली गली,

चौक लखनऊ ।

Attested True Copy
[signature]
Advocate

इन दि आनरेबुल हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद,

लखनऊ बेन्च, लखनऊ

रिट पिटीशन नं0 [illegible]

कमल स्वरूप गौड़ ----- पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स ----- अपोजिट पार्टीज

एनेक्सर नं0-16

सेवा में,

माननीय पं0 कमलापति त्रिपाठी जी
रेल मन्त्री
भारत सरकार
नई दिल्ली ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ [illegible] कोचर नं0 171 [illegible] गौड़ आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करता है-

1- यह कि प्रार्थी दिनांक 1-1-1971 को [illegible] में कोचर के पद पर भर्ती हुआ था जिसमें [illegible] अनुशासन [illegible] पालन करते हुए [illegible] कार्य से सभी अधिकारीगण संतुष्ट हैं। प्रार्थी ने [illegible] रेल हड़ताल, आन्दोलनों में भाग नहीं लिया है जिसे [illegible] प्रकार के कोई चार्जशीट भी नहीं मिली है ।

2- यह कि प्रार्थी को दिनांक 1-6-1977 को रेल सेवा से [illegible] गया है यह यह खूब नहीं जानता है कि उसे किस अपराध [illegible] की जा रही है जैसा कि पत्र संख्या 170 ई0, 1-5-[illegible] दिनांक 5-7-77, 3-4-78 के द्वारा बताया गया है प्रार्थी ने खुद अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है [illegible] अनुचित [illegible] । महोदय ने लखनऊ मुख्यालय ([illegible]) [illegible] हुआ कागज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर [illegible] अपनी मर्जी से कोई भी त्याग पत्र नहीं दिया [illegible] हस्ताक्षर करते समय प्रार्थी का दिमाग [illegible] असंतुलित था [illegible] प्रार्थी का भाई भी लगभग 1.5 माह से [illegible] लखनऊ [illegible] जेल में बन्दी था [illegible] एम0[illegible] महोदय [illegible]

A4/7

है तथा पत्र दस्या द्वारा इसके आरोपित और [illegible] किया है [illegible] पत्रिका स्थानापन्न पर [illegible] किये और [illegible] प्रार्थी ने जाने मुताबिक तलाश [illegible] (आतुर [illegible]) [illegible] उन्हें दो अपील [illegible] स्थानापन्न [illegible] [illegible] चाहिये था ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] उसने [illegible] कि अपील इसके ऊपर निर्णय [illegible] का पर्व बताना पूर्णतः हो गया है । प्रार्थी [illegible] रेल प्रशासन [illegible] या अनुचित व्यवहार को देखते हुये जो रेल [illegible] कृपा करेंगे । प्रार्थी आपके पुनः [illegible] में रहेगा [illegible] रेल प्रशासन के विरुद्ध [illegible] ईमानदारी से कार्य एवं भारतीय रेल सेवा की प्रगति [illegible] में प्रयत्नशील रहेगा ।

प्रार्थी

दिनांक 5-5-88 ।

ह० ([illegible])

5-6-[illegible]

[illegible] 171

उत्तर रेलवे [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषितः-

1- श्रीमान पं० [illegible] त्रिपाठी [illegible], [illegible], [illegible], लखनऊ ।

2- श्रीमान मंडल रेल प्रबन्धक महोदय, उ०रे० [illegible], [illegible] ।

Attested
True Copy (Hashmi?)
[illegible signature]
Advocate

810

इन दि आनरेबुल हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद,

लखनऊ बेन्च, लखनऊ

रिट पिटीशन नं० [illegible] 1976 ।

श्याम स्वरूप गौड़ - - - - - पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स - - - - - अपोजिट पार्टीज

एनेक्सचर नं० 17 - - -

सेवा में,

वरिष्ठ मंडल रेल प्रबन्धक,

उत्तर रेलवे, हजरतगंज,

लखनऊ ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी श्याम स्वरूप गौड़ इंजन क्लीनर नं० 171 [illegible]

आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

1- यह कि प्रार्थी दिनांक 1-1-71 को उत्तर रेलवे लोको [illegible] में क्लीनर के पद पर भर्ती हुआ था जिसमें पूरी निष्ठा, ईमानदारी [illegible] का पालन करते हुये अपना कार्यकुशलता से करता रहा [illegible] अधिकारीगण संतुष्ट है। प्रार्थी ने आज तक किसी प्रकार के रेल [illegible], आन्दोलनों में भाग नहीं लिया जिससे आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत [illegible] मिली हो ।

2- यह कि प्रार्थी को दिनांक 1-6-77 को रेल सेवा से [illegible] है यह आज तक नहीं जानता है कि उसे किस अपराध की सजा दी जा रही है [illegible] पत्र सं० 170 ई०, 1-5- श्याम स्वरूप गौड़ दिनांक 5-7-77, [illegible]-78 द्वारा बताया गया कि प्रार्थी ने खुद रेल सेवा से त्यागपत्र [illegible] अनुचित है। महोदय ने लखनऊ डिवीजन - (लोको फोरमैन डी०एम०ई०) [illegible] हुआ कागज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया जबकि [illegible] कोई भी त्याग पत्र नहीं दिया है । हस्ताक्षर करते समय प्रार्थी [illegible] काफी असंतुलित था, क्योंकि उस समय प्रार्थी भाई की लगभग 19 [illegible] मीसा बन्दी के तहत लखनऊ जिला जेल में बन्दी था जब [illegible] डी०एम०ई० महोदय द्वारा यह कहे जाने पर कि तुम्हें [illegible] बन्द करवा दूंगा इससे आतंकित होकर असंतुलित दिमाग से [illegible] पर हस्ताक्षर करा लिये और [illegible] कर दिया गया, [illegible] तत्कालीन डी०एम०ई०महोदय (माथुर जी) के [illegible]

A49

त्याग पत्र शर्त था जिसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिये थी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थी यह प्रार्थना करता है कि इस [illegible] कठिन समय में जबकि उसके ऊपर विधवा माँ, पत्नी तथा बच्चों का भार है, घर खर्च चलाना दुष्कर हो गया है । प्रार्थी का रेल प्रशासन [illegible] अनुचित व्यवहार को देखते हुये पुनः रेल सेवा करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे । प्रार्थी आपको ~~पुनः यह~~ विश्वास दिलाता है कि जब तक रेल सेवा में रहेगा वह रेल प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा । तथा अपनी [illegible] [illegible]री से कार्य कर भारतीय रेल सेवा की प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचाने में प्रयत्नशील रहेगा ।

प्रार्थी,

दिनांक 29 जुलाई 1980 ई०

ह०([illegible])
[illegible] नं० 7।
[illegible]

Attested
True Copy
[signature]
Advocate

प्रतिलिपि पत्र Annex-No-15

Northern Railway (22)

A/50

No. 220-E/1-5/Cleaner

Divl Rly. Managers Office
Lucknow Dt. 22-9-80

Divl. Mech. Engineer
DSL Shed Maghal Sarai

Re:- Re engagement of Shri Kamal Swaroop Gour as Sub Cleaner.

As per approval of DRM - Lko. Shri Kamal Swaroop Gour S/o Bhim Shanker an ex. Sub cleaner of 1972 panel, is re engaged as Sub cleaner against the existing vacancy at yours. He has passed medical test in class A and vide fit Certi No 21 on 9-9-82. His date of Birth is 15-8-60

The date of resumption may be advised

Sd, 22-9-80
Asst. Personnel Officer
Lko

Copy to Sr. DAO. Lko

Attested
True Copy
Advocate

467043

G 19/Lond A

Permission to break journey at — { Outward journey ... / Return journey ...

With forty kilograms luggage free for each adult and half that quantity for each child.

NORTHERN RAILWAY

The receipt must be returned by the pass-holder to the issuing office within ... month of the date of expiry of the pass, otherwise penalty will be levied in accordance with rules.

...DEPT. ... STATION 23/9/80 ... 19 FREE PASS SECOND CLASS

Pass ... श्री ...

Designation ... From ... To ...

Via ... and return to ...

Via ...

Available up to — { Outward journey 24/9/80 / Return journey ...

Signature/thumb impression of the holder. If the employee himself is not travelling, the leading member of the family should sign or if illiterate put his/her thumb impression. (To be signed at the commencement of the journey).

{ Outward journey 24-9-80 / Return journey ...

*Outward journey commenced on ... 19 . *Return journey commenced on ... 19 .

By any Passenger Train except Mail.

Why granted

*The date must be inserted in INK & WORDS BEFORE commencement of the journey in either direction. Ticket Collectors and T.T.Es must see that this is complied with.

For Division and designation of the Issuing Officer.

N. Rly., Lucknow.

Attested True Copy

Advocate

Annex. M6-16

(23)

सेवा में,

श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक महोदय,
उत्तर रेलवे कार्यालय हजरतगंज,
लखनऊ।

विषय:- प्रार्थी को पुरानी वरिष्ठता पदोन्नति दिलाने हेतु ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ इंजन क्लीनर टि0 नं0 11146 पुत्र स्व0 श्री भीम शंकर गौड़ जो उ0रे0 लोको शेड आलमबाग में कार्यरत है आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

1- प्रार्थी दिनांक 1-1-1971 को उ0रे0 लोको शेड वाराणसी ने इंजन क्लीनर के पद पर भर्ती हुआ था जितने आज 11 वर्ष । ग्यारह वर्ष। रेल सेवा अवधि में कड़ी मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ अनुशासन का पालन करते हुए अपना कार्य कुशलता से करता रहा है। इसके कार्य से किसी अधिकारी को आजतक कोई असंतोष नहीं हुआ। जिसे आजतक किसी प्रकार की चार्टसीट रिमार्क किसी प्रकार की छोटी-बड़ी सजा तक नहीं मिली है। जिसका सर्विस रिकार्ड भी अच्छा माना जाता है जिसने आजतक किसी प्रकार के रेल हड़ताल आन्दोलन में भी भाग नहीं लिया है यह श्रीमान्जी के कार्यालय में रिकार्ड है विगत मई सन् 1974 में हुई रेल हड़ताल में प्रार्थी ने रेल प्रशासन की दिन रात सेवा करता रहा है।

2- यह कि प्रार्थी को आपात काल के दौरान दिनांक 31 मार्च, 1976 के बराबर अवैधानिक रूप से सेवा मुक्त किया जाता रहा तथा बार-बार रिडंगिजमेन्ट कर अधिकारियों ने नाजायज तौर से उसकी सीनियारटी को समाप्त कर दिया। जबकि प्रार्थी एक स्थायी कर्मचारी है उसे पहले चार्टसीट या कोई और तरह की सजा दिये बिना सेवा मुक्त करना अनुचित है। इसका पी0एफ0 कटता है जिसका नम्बर 531953-6-पी/64652 है जिसने रेल से प्रशासन से एडवान्स लिया है जिसकी अदायगी भी आज तक नहीं हुई है ना ही कभी उससे जवाब तलब ही किया गया प्रार्थी यह खुद नहीं जानता है कि उसका अपराध क्या है उसे क्यो बार-बार सताया जा रहा है। जिसने अपने अधिकारियों से मिलकर

---2

A59

प्रार्थना ~~क्र~~ पत्र देते हुये यह जानना चाहा कि उसका अपराध क्या है मगर अधिकारियों ने अपराध बताने से इंकार कर दिया।

3- यह कि प्रार्थी को आपके पत्र संख्या 170ई-1-5 कमल स्वरूप गौड़ दिनांक 3-4-78 के द्वारा यह बताया गया कि उसने अपनी मर्जी से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दियाहै कहना अनुचित है बिलकुल असत्य है क्योंकि जैसा किहर अपील में तथा दिनांक 29 जुलाई, 1980 को भी प्रार्थनापत्र में वर्णित है कि उसने अपनी मर्जी से उस कथित कागज (जिसे पढ़ने नही दिया गया) पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। बल्कि उसे हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया था उस समय इमरजैंसी का जमाना था उसे मीसा बन्दी पुलिस की धमकियों द्वारा इतना ज्यादा भयभीत कर दिया गया जिससे आतंकित, असंतुलित दिमाग कर उस कथित त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कराकर जबरन सेवा-मुक्त कर दिया गया जो सरासर अन्याय है। जिसकी सूचना तुरंत तत्कालीन मण्डल अधीक्षक महोदय (श्री माथुर जी) से भेंटकर कुछ ही क्षणों पहले अपने ऊपर हुए अन्याय का पूरा विवरण लिखित रूप से तथा इसी की कापी दिनांक 2-6-1977 को डाक द्वाराभी भेजी जिसका प्रमाण सुरक्षित है इसके अलावा भी दिनांक 7-4-78, ~~15-7-77~~, 15-7-76, 20-7-76, 30-11-76, 14-1-77, 6-5-1977, 6-7-77, 6-8-77, 15-10-77, 8-12-78, 18-5-79, 16-7-79, 1-8-1979, 5-8-1980, 29-7-1980, तक प्रार्थी उपरोक्त लिखित दिनांकों पर अनेकों बार अधिकारियों से तथा दिनांक 8-12-1978 को महाप्रबन्धक महोदय से बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में मिला इसके बाद स्मृति पत्र भी भेजे गौर करने वाली बात है कि गर प्रार्थी ने अपनी मर्जी से अपनी रेलवे सेवा त्यागपत्र दिया होता तो ये सब इतना करने की मुझे क्या जरूरत थी जिससे यह प्रमाणित भी होता है कि मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है है जिसके साथ ज्यादातियां हुई है जिसे उसकी सीनियारटी तथा प्रमोशन जो रोक लिया गया है उसे मिलना चाहिए

अतः श्रीमानजी से करबद्ध प्रार्थनाहै कि प्रार्थी के इस कठिन समय में जबकि उसके कन्धों पर विधवा मां, पत्नी तथा

---3

दो बच्चों का भार है का वर्य इस भयंकर महगाई के समय में चलाना बड़ा मुश्किल ही नहीं एक चिन्ता का विषय है प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त सोचनीय है जिसका रेल प्रशासन के प्रति उचित तथा अनुचित व्यवहार को देखते हुए उसे पुरानी सीनियारटी तथा प्रोमोशन दिलाने की कृपा करें ताकि प्रार्थी अपने परिवार का पालन कर कर्म ही पूजा है के साथ-साथ अपने धर्म का भी पालन करें सकें प्रार्थी आपको पुनः यह विश्वास दिलाता है कि जब तक रेल सेवा में रहेगा कोई गल्ती नहीं करेगा बल्कि कड़ी मेहनत ईमानदारी तथा अनुशासन का पालन कर अपने देश की रेल सेवा को प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँचाने में हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। प्रार्थी निर्दोष है जो आपका जीवन भर आभारी रहेगा।

दिनांक :-6-10-81.

प्रार्थी,

(कमल स्वरूप गौड़)
इंजन क्लीनर टि0नं0 1146
उत्तर रेलवे लोको शेड,
लखनऊ।

बीमा नहीं NOT INSURED — क्रमांक/No 1319

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै०
Amount of Stamps affixed Rs. 3-25

एक रजिस्ट्री प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम
Addressed to ....

तारीख मोहर
Date Stamp

दिनांक A06-10-81

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

नोट:
डी.आर.एम. उ0रे0 लखनऊ को A/D 6-10-81 को तथा
डी.पी.ओ. उ0रे0 लखनऊ को A/D 19-2-82 को दिया

Attested
True Copy (Three pages)
Srivastava
Advocate

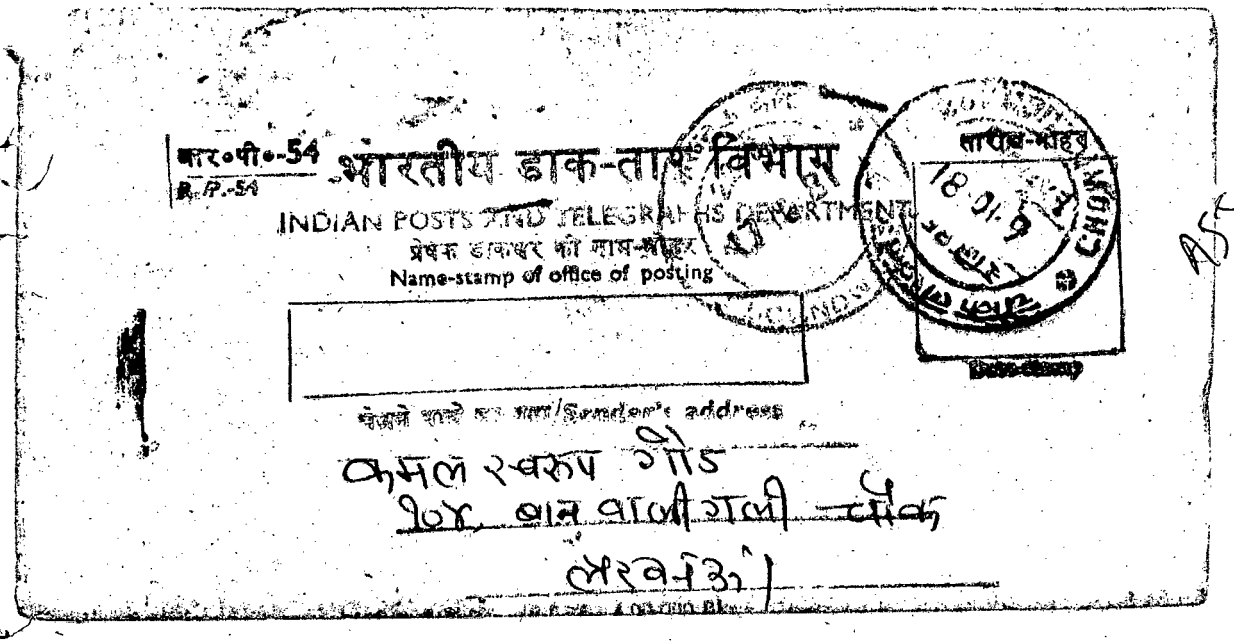

भार०पी०-54 भारतीय डाक-तार विभाग
R.P.-54

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

प्रेषक डाकघर की नाम-मोहर
Name-stamp of office of posting

तारीख-मोहर

18.01.9

CHOWK

भेजने वाले का पता/Sender's address

कमल स्वरूप गौड़
104, बान वाली गली चौक
लखनऊ

A55

Attested
True Copy

Advocate

Annex No-17

To,

The Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Lucknow.

(24) 156

Thro:- Proper Channel.

Subject:- Representation for conversion of re-appointment into re-instatement under 17 RI on humanitarian grounds.

Respected Sir,

With extreme regards and humble submission, I beg to bring the following facts for your kind notice and sympathetic consideration from your benevolent hands.

That I am working as Sub-clearner, T.No.1146 in this Loco Shed, Lucknow. My previous dated of appointment was 1-1-71. I rendered loyal and faithful services for 12 years in the the Rly department, which had been spoilt by the Rly administration without any reason and I was terminated from service under 149 RI dated 13-6-76.

Grounds of appeal.

1. That the punishment of my termination from service is incorrect as Rule No.149 I is applicable only to those whose services are of 5 years or less. But I served for 6 years. So the above Rules are not applicable to me.

2. That I was ~~xxxxxxxx~~ reappointed on 3-5-76 instead of reinstated.

3. That during the period of my absence, i.e. w.e.f.25.6.76 to 27.6.76, I was granted C/L and from 28-6-76 to 27-9-76, I was sick and submitted M.C. from a private doctor. My absence (P.M.C.) for 3 months which is quite insignificant, I was treated as ~~resignation~~ resigned from service, through there was no resignation from my side. The A.M.E. (O) has passed such orders against me, vide punishment Notice No.170 E/1-5 dated 19-10-76.

4. That I submitted an appeal against such orders. The appelate authority decided the case in my favour and issued orders to take my back on duty. But it was not clear that I was re-appointed or reinstated. I was posted at Faizabad.

P...2/-

A57

5. That while I was working at Faizabad, I was called back by the Loco Foreman, Faizabad to come to Lucknow for his some work amongwith him. Here at Lucknow he got some blank papers to be signed by me, by force. I signed the paper on good faith, but it was treated by the Foreman Faizabad as resignation from service.

6. That the Loco Foreman, Faizabad ~~accepted my resignation, and~~ forwarded that paper to the D.M.E. Lucknow as my resignation, which was fabricated and quite false.

7. That the D.M.E. Lucknow accepted my resignation vide his letter No.170E/1-5 dated 5-7-77.

8. I again submitted my appeal against this order. It was decided in my favour by the D.R.M. and I was re-engaged as a Cleaner, vide his letter No. 220E/1-5 dated 22-9-81 and posted me at Moghalsarai.

Under the circumstances stated above, as I rendered 12 years service in the department, I should not be reappointed but be re-instated on service. Sir, I was not at fault. I was simply harassed mentally and has been put to financial loss. Now I request your honour that you very kindly consider my case sympathetically on humanitarian grounds under Rule No.22 DAR, and I should be given benefit of my services from the retrospective effect.

Thanking you.

Dated:- 29/7/82
29/7/82

Yours faithfully,
(KAMAL SWAROOP GAUR)
Cleaner,
T.No. 1146,
Loco Shed, Lucknow.

(20/8/82)

Attested
True Copy
Advocate

Annex. No:- 18

A58

सेवा में,

श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक महोदय,
उत्तर रेलवे कार्यालय, हजरतगंज,
लखनऊ ।

विषय:- पुरानी वरिष्ठता, पदोन्नति वेतन, हेतु ।

मान्यवर,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़, क्लीनर टि0नं0 1146 पुत्र स्वर्गीय श्री भीम शंकर गौड़ , उत्तर रेलवे लोको रनिंग शेड , आलम-बाग , लखनऊ में कार्यरत है जो आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं:--

1- प्रार्थी दिनांक 1-1-71 को लोको शेड वाराणसी में क्लीनर के पद पर भरती हुआ था जो सन् 1972 पैनल पास है जिसने आज लगभग 14 वर्ष रेल सेवा अवधि में कड़ी मेहनत , इमानदारी तथा अनुशासन का पालन करते हुए अपना कार्य कुशलता से करता रहा । जिसके कार्य से किसी भी अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज तक कोई चार्जशीट -रिमार्क या छोटे -बड़ी किसी पुकार की सजा तक नहीं मिली है जिसका सर्विस रिकार्ड अच्छा माना जाता है , जिसने किसी रेल हड़ताल आन्दोलन में भाग नहीं लिया है , यह श्रीमान् जी के कार्यालय में रिकार्ड है कि प्रार्थी ने गत मई 1974 में हुई रेल हड़ताल में दिन-रात रेल प्रशासन की सेवा करता रहा है।

2- प्रार्थी को आपात काल के दौरान 31 मार्च सन् 1976 से बराबर अवैधानिक तरह से रेलसेवा से मुक्त किया जाता रहा तथा बराबर रिहीजमेन्ट कर नाजायज़ तौर से सीनियार्टी को समाप्त किया जाता रहा । जबकि उस समय (31 मार्च, 1976) प्रार्थी को रेल सेवा करते पांच साल हो चुके थे , वह स्थाई कर्मचारी है जिसे पहले चार्ज शीट या और किसी प्रकार की सजा दिये , तथा बिना जवाब तलब का मौका दिये बगैर सेवा मुक्त करना अनुचित है। प्रार्थी यह खुद नहीं जानता है कि उसका अपराध क्या है , उसे क्यों बार-बार परेशान किया जा रहा है अनेकों प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद भी यह आज तक नहीं बताया गया कि उसको किस अपराध का भागीदार बनाया गया है ।

3- प्रार्थी को हमेशा यही बताया जाता रहा है कि उसने अपनी रेल

क्रमशः------2

A89

सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है , यह कहना गलत है, अनुचित है, क्योंकि जैसा हर अपील में तथा दिनांक 29.8.83 के प्रार्थना-पत्र में वर्णित है कि प्रार्थी ने अपने पद से किसी प्रकार का कोई त्याग-पत्र नहीं दिया है । दिनांक 1.6.77 के दिन रेल सेवा से निकाले जाने के तुरन्त बाद ही जिसकी सूचना तत्कालीन मंडल अधीक्षक महोदय {माथुर साहब} से मिलकर कुछ ही क्षणों पहले अपने ऊपर हुए पुन: अत्याचार की लिखित शिकायत की थी , इसके बाद भी दिनांक- 14.1.77 , 6.7.77,.6.8.77,15.10.77, 8.12.78, 18.5.79, 16.7.79, 1.8.79, 29.8.80 तक उपरोक्त लिखित दिनांकों पर तथा अनेकों बार सभी अधिकारियों से मिला । दिनांक 8.12.78 को श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय बड़ोदा हाउस नई दिल्ली में मिला इसके बाद तमाम स्मृति-पत्र दिये मगर केवल आश्वासनों के अलावा ड्यूटी नहीं मिली, अगर प्रार्थी अपनी रेल सेवा से त्याग - पत्र दिया होता तो इतना यह सब कहने की जरूरत ही क्या थी , इससे यह प्रमाणित भी होता है कि प्रार्थी को नाजायज़ परेशान किया जाता रहा है । और उसके साथ जादितियाँ हुई है, जिससे उसकीसीनियार्टी,प्रमोशन, वेतन जो रोक लिया गया है वह सब उसे मिलना ही चाहिए जिसकी वह बराबर मांग भी करता रहा है , प्रार्थी का पूरा परिवार कई वर्षों से दयनीय स्थिति में हैं ।

अत: श्रीमान् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उसके इस कठिन समय में विधवा माँ , बिमार पत्नी, तथा दो बच्चों का भार है , का खर्च चलाना इस भयंकर मँहगाई के समय में बड़ा मुश्किल हो गया है , प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है जिसका रेल प्रशासन के प्रति उचित-अनुचित व्यवहार को देखते हुए उसे वेतन सहित पुरानी सीनियार्टी तथा प्रमोशन दिलाने की कृपा करें । ताकि प्रार्थी अपने परिवार का पालन कर,कर्म ही पूजा के साथ अपने धर्म का भी पालन कर सके ।

प्रार्थी पुन: आपको यह विश्वास दिलाता है कि जब-तक रेल सेवा में रहेगा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे रेल प्रशासन

क्रमश:------3

A60

के काम में बाधा उत्पन्न हो , बल्कि कड़ी मेहनत, इमानदारी से कार्य कर अपने देश की रेल सेवा को प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचाने हमेशा प्रयत्नशील रहेगा । प्रार्थी निर्दोष है, जो आपका जीवन भर आभारी रहेगा ।

नोट :- ओ०डी०इ०एन०ई० को दि० 30-2-85 को पुनः दिया गया

सादर ।

प्रार्थी,

कमल स्वरूप गौड़

{ कमल स्वरूप गौड़ }
क्लीनर,
टिकट नं० - 1146,
लोको रनिंग शेड, आलमबाग,
लखनऊ ।

दिनांक:- 30/11/84

Attested True Copy
Advocate

Annex- No - 19

स्मृति पत्र

सेवा में,

श्रीमान मंडल रेल प्रबन्धक महोदय,
उत्तर रेलवे कार्यालय, हजरतगंज,
लखनऊ।

महोदय,

प्रार्थी कमल स्वरूप गौड़ क्लीनर टिकट नं0- 1146, पुत्र -स्वर्गीय- श्री भीम शंकर गौड़ आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

1- यह कि प्रार्थी लोको रनिंग शेड लखनऊ में कार्यरत है जिसे आपातकाल के दौरान (31-3-76) तरह-तरह की ज्यादतियों सहित अवैधानिक रूप से बार-बार सेवामुक्त किया गया था जिसके कारण प्रार्थी की लगभग 10 वर्ष की वरिष्ठता समाप्त कर दी गई इस वजह से जिसके दोनों प्रमोशन रोक लिये गये हैं। जिसके पुरानी वरिष्ठता वेतन पदोन्नति हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक- 30-11-84 को भी श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत किया था, जिसके विषय में प्रार्थी को आज तक कोई आदेश नहीं मिला है।

2- जैसा कि प्रार्थी के सर्विस रिकार्ड में भी लिखा है कि प्रार्थी ने अपने तीन बच्चे 2 पुत्री, एक पुत्र होने के बाद अपनी पत्नी का आपरेशन उत्तर रेलवे चिकित्सालय चारबाग लखनऊ में दिनांक-23-3-83 को कराया था जिसका प्रमाण पत्र इसी के साथ संलग्न है के बाद दिनांक- 24-7-83 को ही उसके एक मात्र पुत्र का निधन हो जाने तथा दि0- 6-9-83 को ही पेट का बड़ा आपरेशन पुन: होने के बाद से आज तकप्रार्थी की पत्नी बराबर बिमार है तथा आर्थिक स्थिति अत्याधिक खराब होने के कारण उसकी पुत्री का स्कूल से नाम भी कट गया है।

अत: आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी केइस कठिन समय में जबकि उसके उपर विधवा माँ, बीमार पत्नी तथा दो पुत्रियों का भार है तथा जो काफी कर्जदार है का खर्च चलाना अब मुश्किल है जो न्याय की भीख मांगता है प्रार्थी का रेल प्रशासक के प्रति उचित या अनुचित व्यवहार को देखते हुए पुरानी वरिष्ठता वेतन पदोन्नति दिलाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि कर्म ही पूजा के साथ-साथ अपने धर्म का भी पालन कर सके। प्रार्थी निर्दोष है जो आपका जीवन भर आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक :- 2-3-85.

प्रार्थी,
कमल स्वरूप गौड़
(कमल स्वरूप गौड़)
क्लीनर टि0नं0- 1146,
उ0 रेलवे, लोको शेड
लखनऊ

DRM-LKO
Forwarded for necessary action
Dy. CO.S. FOREMAN, N. R. LUCKNOW

Attested True Copy
Advocate

Annex-No: 20 — 29

A62

सेवा मे,

श्रीमान मंडल रेलवे प्रबन्धक
उत्तर रेलवे लखनऊ

विषय :- अपनी वरीयता एवं पदोन्नति हेतु।

द्वारा :- लोको फोरमैन शेड उ०रे० लखनऊ।

महोदय,

प्रार्थना यह है कि प्रार्थी आपके अधीन क्लीनर के पद पर सन 1971 से कार्य रत है।

यह कि प्रार्थी को अपनी वरीयता एवं पदोन्नति हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.84 को अपने वरि०अ० यांत्रिक अभियन्ता महोदय को दिया था।

यह कि श्रीमान जी ने दिनांक 10.5.84 को उसे ना मंजूर करते हुए यह कहा कि आप अपना प्रार्थना पत्र मंडल रेल प्रबन्धक महोदय को दीजिए।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित न्याय दिलवाने की कृपा प्रदान करें आपका प्रार्थी जीवन भर आभारी रहेगा।

सादर

दिनांक
24/5/84

मं० रे० प्र० उ० रे० लखनऊ को अग्रसारित आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible]

आपका शुभ चिंतक

प्रार्थी
कमल स्वरूप गौड़
(कमल स्वरूप गौड़)
क्लीनर टि०नं० 2186
लोको शेड उ० रे०
लखनऊ

LOCO FOREMAN
N. R. LUCKNOW
[signature] 14/6/84

Attested
True copy
[signature]

Annex No-21

जी०एल० 19/G.D. 19
जनरल 99-बड़ा/Genl. 99-Large

उत्तर रेलवे/NORTHERN RAILWAY

220 E/1-5/cleaner

Divl office
Lucknow
21/6 7 85

The Loco Foreman
Lucknow

Reg:- Re-instatement of Sh Kamal Swaroop Gaur Sub-cleaner

Shri Kamal Swaroop Gaur S/o Sh Bhim Shanker ex substitute Cleaner of 1972 Panel who was re-engaged as Sub-Cleaner vide this office letter No 220 E/1-5/Cleaner dt 22.9.80 addressed to the Then DME/DSL MGS is re-instated instead of re-engaged allowing the benefit of his past services.

This has the approval of DRM/Lucknow.

Sd/-
Assistant Personnel Officer
Lucknow

Copy to Sh K. S. Gaur Sub Cleaner TNo 1146 LF/Lko for information

Attested
True Copy
Advocate

32

Annex-No-22

बी० एस० 19/G.L. 19
जनरल 99-बड़ा/Genl. 99-Large

उत्तर रेलवे/NORTHERN RAILWAY

No   Dated: 30-7-1985

The Divl Personnel Officer,
Northern Railway,
Lucknow

Reg: Application of Shri K S Gaur, Cleaner, T.No 1146 Running Shed, Lucknow

Ref: DPO/LKO's letter No 220E/1-5/Cleaner dated 16-7-85

The application of the above named is forwarded herewith with the remarks that he has been re-instated as Cleaner instead of re-ingaged Since he has been re-instated as Cleaner the necessary Change memo for re-fixation of his pay may be issued and he may be considered for promotion as due please

Loco Foreman,
Northern Railway,
Lucknow

DA/One

Attested
True Copy

865

सेवा मे,

श्री मान मंडल रेलवे प्रबन्धक
उत्तर रेलवे लखनऊ.

द्वारा !- लोकोफोरमैन शैनगशेड उ०रे० लखनऊ।

विषय !- पत्र संख्या 220 E/1-5/cleaner दिनांक 16/7/85 के संदर्भ में प्रार्थनापत्र।

महोदय,

प्रार्थना यह है कि प्रार्थी आपके अधीन क्लीनर टिकट नं० 1146 के पद पर कार्यरत है।

प्रार्थी को उपरोक्त पत्र संख्या के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रार्थी को अपनी पुरानी रेल सेवा में वापस कर दिया है। श्री मान जी प्रार्थी के साथ के सभी क्लीनर इस समय फायरमैन बी के पद पर कार्य कर रहे हैं।

प्रार्थी को दिनांक 16/6/84 से री इनस्टेट किया गया है। उसी आधार से वेतन मान फिक्स करके फिक्सेशन कर दिया जाय, प्रार्थी की सीनियारिटी के आधार पर जहाँ प्रार्थी के साथ के कर्मचारी है। कार्य करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आप की महान कृपा होगी।

दिनांक
30/6/1984

आपका प्रार्थी
(signature)
(कमल स्वरुप गौड़)
क्लीनर टि० नं० 1146
लोको शैनिंग शेड उ०रे०
लखनऊ.

H.W./re
Forwarded to DRM/Lko for disposal
S. m. G.
(signature) 30/3/85

Attested True Copy
(signature)
Advocate

To be backed Annex-No-23

NORTHERN RAILWAY

Divisional Office
Lucknow
09 October, 1985

No. 293E/1-5/Cleaner/HQ

The Loco Foreman,
Northern Railway,
Alambagh, Lucknow

Sub: Reinstatement/re-engagement of Shri Kamal Swaroop Gaur, Cleaner (T. No. 1146).

***

The orders of reinstatement of Shri Kamal Swarup Gaur (T. No. 1146), Subs. Cleaner, issued under this office letter of even no. dated 16.7.85 are treated as cancelled. Shri Kamal Swarup Gaur shall be treated as re-engaged Subs. Cleaner as already advised through this office letter No. 220-E/1-5/Cleaner dated 22.9.80 addressed to DME/Dsl./MGS.

This has the approval of DRM/LKO.

Sr. Divl. Personnel Officer,
Lucknow.

Copy for information to :-

1- Shri Kamal Swarup Gaur, Sub. Cleaner, LC/LKO (T. No. 1146).

16-10-85

Attested
True Copy

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal at

Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

M.P. No. 487/90(L)

Misc.Application no. of 1990

In re:

O.A.No. 56 of 1989

Kamal Swaroop Gaur .. Applicant

Versus

Union of India and others .. Respondents.

Application for filing annexure 9, inadvertantly left out from being annexed with the O.Application.

The petitioner begs to submit as under;

1. That in the Index of main application filed, there is mention of Annexure 9 at serial no.10.

2. That in para 6 of the Original Application (O.A.) in sub-para (1) at page 7, there is mention of copy of order Annexure no. 9, whereby he was informed that his resignation dated 1.6.77 has been accepted by D.R.M.Lucknow with immediate effect.

3. That in the O.A. in place of Annexure 9, photocopy of an envelope addressed to Sri Yogendra Behari Lal Mathur, D.S.Office, Hazratganj, Lucknow has been wrongly filed.

P R A Y E R

Under the circumstances, it is prayed that the xxxxx same may kindly be substituted by xx the correct annexure 9 being filed herewith.

Aug. , 1990.

Counsel for the applicant

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

Misc.Application no. of 1990

In re:

O.A. No. 56 of 1989

Kamal Swaroop Gaur .. Applicant

Versus

Union of India and another .. Respondents

A_F_F_I_D_A_V_I_T

I, Kamal Swaroop Gaur, aged about 40 years, son of Late Sri Bhim Shankar Gaur, resident of Pan Wali Gali, Chowk, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath as under;

1. That the deponent is the applicant himself in the annexed application and is fully conversant with the facts mentioned therein.

2. That the contents of the annexed application are true to my personal knowledge and the error was caused by inadvertance.

Lucknow: Dated;
Aug. , 1990.

Deponent.

Verification

I, the deponent named above, do hereby

verify that the contents of paras 1 and 2 of this affidavit are true to my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Signed and verified this the ___ day of August, 1990, at Lucknow.

Lucknow: Dated;
Aug. , 1990.

Deponent.

I identify the deponent who has signed before me.

Advocate.

N.R.- 99-AT/17 … 976—1,00,000 Pads.

(16)

Spare Copy

जी० एल० 19/G. L. 19.
जनरल 99 बड़ा/Genl. 99-Large

उत्तर रेलवे/NORTHERN RAILWAY

S/C

No.170…5/Kamal Swaroop Gaur.

Divisional Supdt's Office.
Lucknow, the 5th July, '77.

Shri Kamal Swaroop Gaur,
Substitute Cleaner,
Faizabad.

Through - The Loco Foreman,
N.Rly., Faizabad.

Reg: Resignation.

Your resignation dated 1.6.77 has been accepted by the Divl. Supdt., Lucknow with immediate effect.

You are to hand-over all railway property in your possession to Loco Foreman, Faizabad and also vacate Railway Quarter, if any, occupied by you.

Please also let this office know as to how and where you want to receive the payment of your settlement dues.

Asstt. Personnel Officer (PC),
Lucknow.

Copy for information and necessary action to:-
1. The Loco Foreman, N.Rly. Faizabad.
2. The Sr.Divl.Accounts Officer, Lucknow.

d.

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad,
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. 56 of 1989

Kamal Swaroop Gaur .. Applicant

Versus

Union of India and others .. Respondents.

Rejoinder to respondents' reply.

1. Paras 1 to 4 need no reply, except that applicant is 43 years old, date of birth being 15.8.47.

2. Para 5 of the reply is not admitted and the averments of para 5 of the Original Application are re-iterated.

3. Para 6(a) of the reply is not admitted as alleged. It may be that the applicant was appointed as Cleaner on 3.12.73, if substantiated by records, but the applicant was working as alleged from 1.1.71 and his name appeared in panel of 1972 of Substitute Cleaners vide endorsement in Annexure 15 and Annexure 21.

4. Para 6(B) of the reply is not admitted as alleged. Termination even due to long unauthorised absence, without notice to show cause is illegal and invalid.

A73

5. Para 6(c) is not denied.

6. Para 6(d) is also not disputed.

7. Para 6(e) is not disputed, but said deemed resignation under Rule 732(i) except.II note 2, is subject to exhausting all leave leegally due and also subject to the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act 1947. Moreover, on account of applicant's own illness, he was entitled to extraordinary leave. Further, A.M.E.(Lucknow) endorsed Pass for ~~R~~ back journey from Lucknow to Varanasi on 11.10.76 for 12.10.76. The same pass was again validated on 5.1.77 for 6.1.77. Its photostat copy is being filed as Annexure R-1.

8. Para 6(f) is admitted, subject to this notification that he was appointed on minimum of the scale at Rs. 196-~~232~~. in scale Rs 196-232.

9. Para 6(g) is not admitted as alleged. It is a matter to be considered whether he was taken back on duty or re-appointed vide Annexure-6.

10. Para 6(1) of the O.A. is reiterated. The representation that he was not allowed to join duty at Faizabad was oral, on which Senior D.M.E. endorsed on Annexure 6 dated 5.1.77 as follows: 'He be posted at Faizabad as ordered above.' Sd/- Dated 15.1.77. It is signed by Senior D.M.E. Sri G.K.Malhotra himself.

11. Averments of para 6(i) are re-iterated. The alleged endorsement is quoted above in para 10 and is to be found in Annexure-6.

12. Averments of para 6(j) of the O.A. are to be found in Annexure-7. The difficulty arose on account of typing mistake of annexure 7 as 6 in the said para.

13. In reply to para 6(k), the averments of O.A. para 6(k) are reiterated and the representation to D.R.M. vide Annexure 8 and the postal receipt annexed with it has been filed. It would be wrong to say that there is no representation.

14. In reply to para 6(l) of the rejoinder ; the annexures 5 and 6 were wrongly typed for no. 7 and 8, which still remains undisposed of. The annexure 9 mentioned in the said para was inadvertently left out from being filed and has been filed and copy given on the date; reply of the opposite parties was filed.

15. In reply to para 6(m), the applicant re-iterates that he did send annexures 10 to 14 as averred.

16. Averments of para 6(n) of reply are admitted.

17. In reply to para 6(o), the averments of said para in O.A. is reiterated. The postal receipt dated 6.10.81 is photo copied/impressed as Annexure 16 and the A.D. is annexed to it, which bears seal of D.S.office, Lucknow and

on its back is postal seal dated 6.10.81 as date of posting and another seal of 17.10.81, the date of its receipt/tender in the said office.

18. Para 6(p) of the reply is denied and the averments of O.A. para 6(p) are reiterated.

19. Reply to para 6(q) is admitted. It is ~~xx~~ averred that re-instatement was with reference to requests made earlier in Annexures 17 to 20 for re-instatement and benefit of past services.

20. Para 6(r) of the reply is admitted.

21. In reply to para 6(r), the averments of O.A. para 6(r) are reiterated. Regarding regularisation, it is a matter to be considered in view of long standing of service from 1971 till date and in the same sequence, it will be considered if he would be deemed confirmed. However, applicant's service is continuing without break from 22.9.80 as Sub-cleaner in scale of Rs. 196-232 and in pay revision, his pay was revised on 1.1.86 and scale of Rs. 750-900 was given and from 20.12.89 he has been promoted as Fireman (C) vide Annexure R-2.

22. Para 6(s) of the reply is not admitted, as alleged. The order of re-engagement passed on 22.9.80 vide Annexure 15 was modified after about 5 years and after appeal on 16.7.85 applicant was re-instated with benefit of past services. The said order of re-instatement

was cancelled after about 3 months without any justification or assigned reason. The order being arbitrary is liable to be whittled down.

23. The objection in reply to para 6(t) is admitted as Annexure no. 24 has not been filed.

24. That in reply to the averments of para 7 of the O.A. are re-iterated.

25. Reply to para 8 needs no reply.

26. Reply to para 8 of the ~~xxx~~ reply is denied and the averments of para 8 of O.A. are reiterated. The petitioner has always made representation against the impugned orders without losing time.

27. Para 10 of the reply need ~~xx~~ no reply and the averments of O.A. para 10 are reiterated.

28. Paras 11 to 13 of the reply need no reply and the averments of the said paras in O.A. are reiterated.

29. Para 14 of the reply is denied and those of O.A. para 14 are reiterated.

Counsel for the applicant.

Lucknow:
Dated: 7.9.90.

Verification

I, Kamal Swaroop Gaur, aged about 43 years, son of Late Sri Bhim Shankar Gaur, working as Cleaner no. 1146 in the office of Loco Foreman, Northern Railway, Alambagh, Lucknow, residing at 104, Pan Wali Gali, Chowk, Lucknow, do hereby verify that the contents of paras 1 to 3,5,6,10 to 20 and 23 to 29 are true to my personal knowledge and paras 4,7,8,9,21 and 22 are believed to be true on the legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Place:
Date: 7/9/90

Applicant.

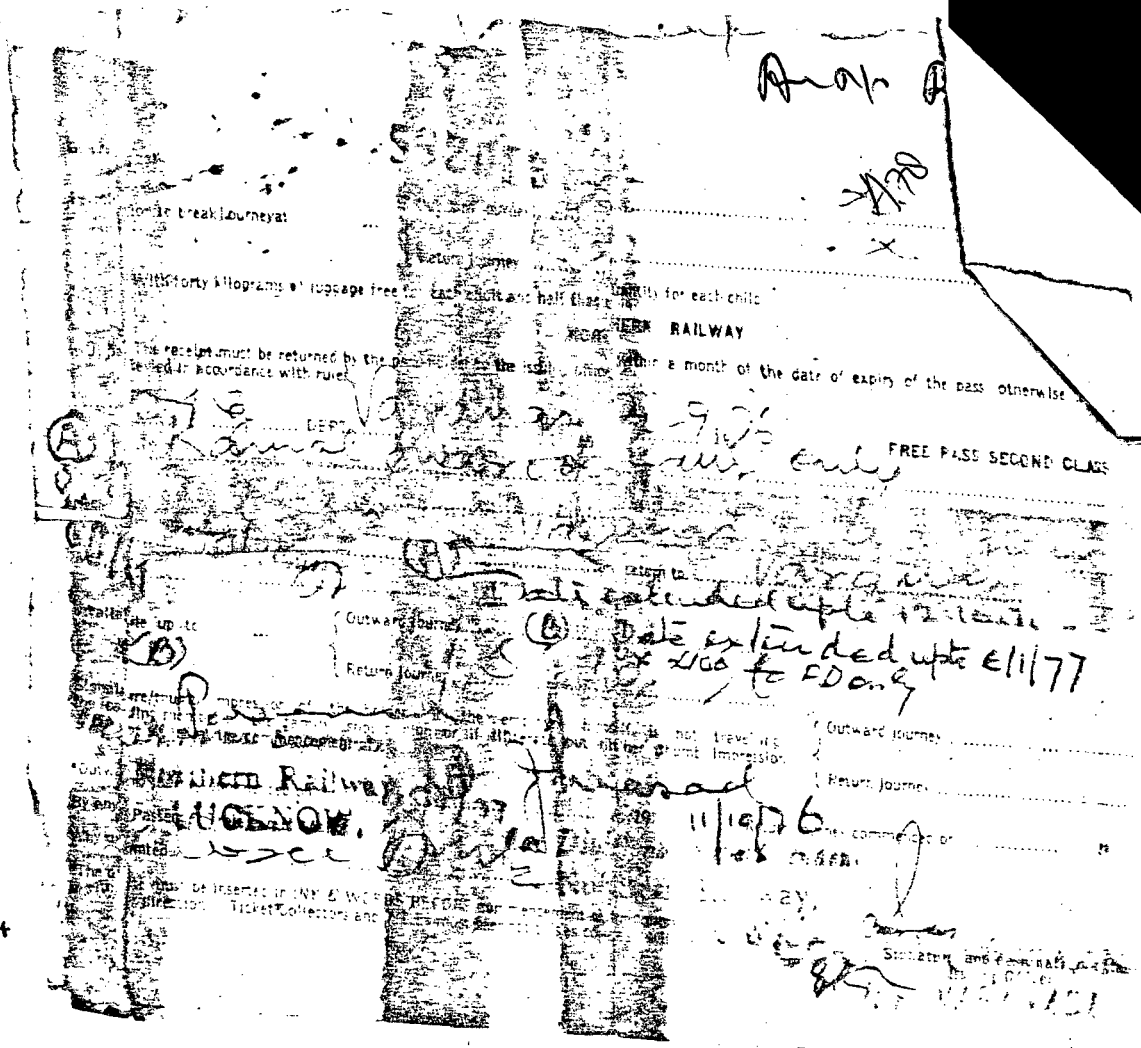

Allowed to break journey at

Return journey

With forty kilograms of luggage free for each adult and half that for each child

NORTHERN RAILWAY

N.B. This receipt must be returned by the pass-holder to the issuing office within a month of the date of expiry of the pass otherwise ... levied in accordance with rules.

FREE PASS SECOND CLASS

Return to

Available up to

Outward journey

Return journey

Date extended upto 6/1/77

Outward journey

Return journey

Northern Railway

LUCKNOW.

11/10/76

Signature and designation of the Issuing Officer

Anex R-II A79

LKO - 58 PBH - 2
FD - 23 BSB - 24
RBL - 3 SLN - 3

NORTHERN RAILWAY

No.220E/1-5/89.

Divisional Office,
Lucknow.
Dated: 19-12.89

NOTICE

The following cleaners are temporarily promoted to officiate as II F/man and are posted at the stations noted against each. Their movement be advised promptly. [illegible handwritten addition]

S.No.	Name	Whether SC/ST	Present Place of wkg.	Place of posting.	Remarks.
1.	S/Sh.				
1.	V.P.Sharma.	-	LKO	LKO	
2.	P.C.Sonkar.	SC	"	LKO	T/cleaner
3.	Mahabir Pd.	-	"	"	
4.	S.N.Mishra.	-	"	"	
5.	K.N.Srivastava.	-	"	"	
6.	Kasim Khan.	-	"	"	
7.	S.K.Verma.	SC	"	"	
8.	M.M.Khan.	-	FD	FD	
9.	Rajesh Kumar.	-	RBL	RBL	
10.	SS Lal.	XXXXXX	LKO	LKO	
11.	Rafiq Ahmad.	-	"	"	
12.	S.N.Pal.	-	PBH	PBH	
13.	V.K.Saxena.	MG	MGS	BSB	
14.	Gur Saran Singh.	-	LKO	LKO	
15.	Harendra Singh.	-	LKO	LKO	
16.	Kashi Prasad.	-	"	"	
17.	Ram Prakash Sharma.		"	"	
18.	Gurdayal Yadav.	-	FD	FD	
19.	Mohd. Akbar.	-	"	"	
20.	Ram Shankar.	-	LKO	LKO	
21.	Ram Narain.	-	BSB	BSB	
22.	Behari Lal.	+	FD	FD	
23.	Om Prakash Singh	-	LKO	LKO	
24.	Mani Ram	-	"	"	
25.	K.S.Gaur.	-	"	"	
26.	Suresh Kumar.	-	MGS	BSB	
27.	Ashok Kumar.	-	FD	FD	
28.	Bindeshwari Pd.	-	LKO	LKO	
29.	Radhey Shyam.	-	"	"	
30.	Vijai Kumar Singh	-	MGS	BSB	
31.	J.P.Rai.	-	"	BSB	
32.	M.N.Pathak.	-	-	BSB	
33.	Zakir Ali.	-	FD	FD	
34.	Vinod Kumar	SC	MGS	BSB	
35.	V.Shankar Verma.	-	LKO	LKO	
36.	Hari Ram.	-	MGS	BSB	
37.	K.K.Das.	-	LKO	LKO	
38.	Trilochan Singh.	-	LKO	LKO	On deputation in RDSO.
39.	Ram Prakash.	-	FD	FD	
40.	Pradeep Saxena.	-	LKO	LKO	

....2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	S/Shri				
41.	R.S.Meena	ST	LKO	LKO	
42.	Chandra Kunjar.	ST	"	"	
43.	Bingal Bhagat.	ST	"	"	
44.	Krishna Indiwar.	ST	"	"	
45.	Ganesh Hansada.	"	"	"	
46.	Prithvi Singh.Meena.	ST	"	"	
47.	Nirmal Narginary.	ST	BSB	BSB	
48.	S.K.Meena.	ST	LKO	LKO	
49.	H.S.Meena.	ST	"	"	
50.	Mool Chandra.	-	"	"	
51.	Kaushal Kishore.	-	"	"	
52.	Radhey Lal.	-	" T/cleaner	"	
53.	J.N.Misra.	-	"	"	
54.	Keshoo Lal.	SC	BSB	BSB	
55.	Virendra Pd.Singh	-	MGS	BSB	
56.	A.K.Gupta.	-	"	BSB	
57.	Bhola Nath.	-	PBH	PBH	
58.	Sabha Jeet.	-	BSB	BSB	
59.	Raj Kumar.	SC	LKO	LKO	
60.	Shobha Ram.	-	FD	FD	
61.	G.P.Srivastava.	-	RBL	RBL	
62.	Kailash.	-	MGS	BSB	
63.	Mata Pd.	-	FD	FD	
64.	Ganga Ram.	FB	"	"	
65.	Clement Zosef.	-	MGS	BSB	
66.	Y.K.Shukla.	-	LKO	LKO	
67.	Sultan Ahmad.	-	FD	FD	
68.	Baboo Lal.	SC	LKO	LKO	
69.	Y.N.Ram.	-	MGS	BSB	
70.	M. Hanif.	-	"	"	
71.	Virendra Kumar.	-	"	"	
72.	Chhedi Lal.	-	"	"	
73.	S.N.Banarjee.	-	"	"	
74.	Barka Kisku.	ST	LKO	LKO	
75.	R.C.Nigam.	-	"	"	
76.	Poor Noor Ahmad.	-	"	"	
77.	K.K.Pandey.	-	FD	FD	
78.	R.K.Singh.	-	BSB	BSB	
79.	R.L.Singh.	-	RBL	RBL	
80.	R.M.Tewari.	-	LKO	LKO	
81.	Kamlesh Pd.	-	"	"	
82.	Ram Dular.	-	SLN	SLN	
83.	Ramesh Yadav	-	JNU	SLN	
84.	Ram Singh.	-	LKO	LKO	
85.	Sant Das Misra.	-	FD	FD	
86.	Jai Ram.	-	JNU	FD	
87.	Om Prakash.	-	LKO	LKO	
88.	Prabhakar.	-	FD	FD	
89.	A.K.Saxena.	-	LKO	LKO	
90.	Raj Kumar	SC	LKO	LKO	
91.	Mughish Haider.	-	FD	FD	
92.	V.K.Srivastava.	-	"	"	
93.	Muneer Hassan.	-	"	"	
94.	M.B.Singh.	"	"	SLN	

......3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	S/Shri				
95.	V.K.Baruwa.	-	LKO	LKO	
96.	Bhishm Kumar.	-	"	"	
97.	S.K.Srivastava.	-	"	"	
98.	Bhagwan Sin.	-	BSB	BSB	
99.	B.M. Singh.	-	MGS	BSB	
100.	Jiwan Prasad.	-	LKO	LKO	
101.	C.B.Lal.	SC	"	"	
102.	Nathu Ram.		"	"	
103.	Lalji Pandey.	-	"	"	
104.	Basantoo Ram.	SC	BSB	BSB	
105.	Ram Surat.	-	LKO	LKO	
106.	U.P.Singh.	-	FD	FD	
107.	Sabbir Ahmad.	-	LKO	LKO	
108.	Ram Sagar Yadav.	-	"	"	
109.	Sitla Pd.	-	FD	FD	
110.	Anil Kumar.	(SC)	LKO	FD	
111.	Sant Ram.	SC	FD	FD	
112.	Ram Prakash.	SC	LKO	LKO	
98113.	~~Ram Prasad Tewari~~	-	~~FD~~	~~FD~~	

S/Shri Chandrika Pd, cleaner RBL and Shri S.A.Rizvi cleaner/BSB are under going punishment.

The appointment of the following staff has not been regularised so far due to verification of their previous particulars and D.O.B. etc. and thus they have not been considered for promotion at present. Their cases will be considered after their regularisation.

1. S/Shri Ram Abhilakh, Cleaner/BSB
2. " Mohd. Islam. -do-
3. " Sant Ram. -do- /FD
4. " Parmanand Sharma. -do-/BSB
5. " Rajendra Pd. Tewari. Cleaner/FD

This has the approval of Sr. DME/DPO/LKO.

Dated: 19.12.89

for Divl. Personnel Officer,
Lucknow.

Copy to:-
1. LF/LKO, BSB, FD, PBH.
2. SS/RBL, JNU, SLN. (3) Sr.DME/DSL/MGS. (4) Sr.DME/LKO.
5. Sr.DSO/LKO.
6. Divl.Secy. URMU/NRMU. (7) D.C. E/1-4 in office. (8) Supdt./P.Bill.
9. SIO/LKO.
10. DG/RDSO/LKO. In ref. to his letter No. EPB/2041 dt. 16/21.11.89 with request to pl. spare Shri Trilochan Singh at once. In case he is not willing to come back on promotion his written refusal may be sent in original at once.

****

(25)

A82

In the Central Adminstrative Tribunal Allahabad
Circuit Bench Lucknow.

O.A. 56 of 1989

Kamal Swaroop Gaur — Applicant

Versus

Union of India and others — Respondents.

<u>Reply on behalf of the Respondents:</u>

Para 1 (i) (ii) Needs no reply.

Para 1 (iii) Only this much is not denied that the age of the applicant is 42 years approx. and not 39 as alleged.

Para 1 (iv) to (vi) Needs no reply.

Para 2: Needs no reply.

Para 3: Needs no reply.

Para 4: Needs no reply.

Para 5: except that a Writ Petition No. 188 of 1986 was filed in High Court, the rest of the contents are denied for want of knowledge. The application is highly belated and the delay cannot be condoned for the reasons enumerated in the para under reply.

Para 6(a) Only this much is not denied that the applicant was appointed as a substitute cleaner on 3.12.73 and not 1.1.1971 as alleged.

E.Prasad
Asstt ... Northern Railway ...

... 2

Para 6(b) In reply it is not denied that the services of the applicant were terminated due to long unauthorised absence in exercise of power under Rule 149 of R-I. Contents of Annexure No.1 to the application are not denied.

Para 6(c) Not denied.

Para 6(d) In reply, it isnot denied that the applicant was re-ingaged as a substitute cleaner vide order dated 28.4.1976 as contained in Annexure No.3 to the application.

Para 6(e) In reply, it is stated that orders dated 19/21-10-1976 as contained in Annexure No. 4 to the application were issued by the adminstration regarding his deemed resignation in terms of note below Rule 782-RI.

Para 6(f) Submission of a representation dated 20.11.1976 is not denied. It is also not denied that in pursuance to orders dated 5.1.1977 as contained in Annexure No.6, the applicant was re-appointed as substitute cleaner and posted at Faizabad shed on Rs.96/- in Grade 196-232 with a stipulation that his past services will not be counted for any purpose.

E.Prasad
Asstt. Personnel Officer
Northern Railway, Lucknow

A84

Para 6(g) In reply, it is stated that the applicant vide Annexure No. 6 was re-appointed. Rest of the contents are not denied.

Para 6(h) That the alleged facts contained in para 6(h) of the application are denied in absence of any matter available on record.

Para 6(i) That the alleged facts contained in para 6(i) of the application are denied in absence of any matter available on record.

Para 6(j) That the alleged facts contained in para 6(j) of the application are denied in absence of any such representation on record.

Para 6(k) That the alleged facts contained in para 6(k) of the application are denied in absence of any such representation on record.

Para 6(l) Needs no reply, except that representtation contained in Annexure No. 5 to the application was disposed of vide order dated 5.1.1977 as contained in Annexure No. 6 to the application.

Para 6(m) That the alleged facts contained in para 6(m) of the application are denied as no such represenntation are on reword of the adminstration.

Para 6(n) Issue of orders dated 22.9.'80 as contained in

Personnel Officer
Northern Railway, Lucknow

Annexure No. 15 by which the applicant was ordered to be re-ingaged as substitute cleaner are not denied.

Para 6(o) That the contents of paragraph _(o) are denied, as no such representation was received in the office of the adminstration.

Para 6(p) That the contents of para 6(P) of the application are not admitted, with the clarification that the applicant did not file any representation to the answering respondents regarding his grievances as stated in para under reply.

Para 6(q) Issue of order dated 16.7.'85 as contained in Annexure No. 21 is not denied.

Para 6(r) Receipt of the representaion is not denied. It is however stated that the applicant was a substitute cleaner re-engaged w.ef. 26.9.'80, by the adminstration. He continued as substitute cleaner and he was not regularised. Thus the applicant was not a confirmed employee of the adminstration. The claim of the applicant regarding re-instatement in service and giving all benefits were not admissible.

Asstt Personnel Officer
Northern Railway, Lucknow

Para 6(s) Issue of orders dated 16.7.'85 as contained in Annexure No. 23 to the application are not denied. It is stated that the orders contained in Annexure No. 23 are correct and legal. The orders dated 16.7.85 were cancelled as they were passed by the same authority who had passed order dated 22.9.'80. The orders could have been considered for revision if any under the powers of review which powers vested in the higher authority then the authority passing the orders dated 22.9.'80 whereby the applicant was re-ingaged.

Para6(t) No such representaion has been annexed as Annexure No. 24 to the application. The index attached with the application also does not show the alleged annexure referred to as 24 in the body of the application.

Para 7: Denied. The applicant is not entitled to any of the reliefs claimed. The application is also devoid of any grounds on which the order dated 9.10.'85 has been assailed. The application is liable to be dismissed with costs.

Para 8: Needs no reply.

Para 9: Denied. The applicant has not exausted the remdies provided under rules. Hence the application is not maintainable.

Para10: Needs no reply. However it is submitted that the filing of writ petition was against the provisions of the Adminstrative Tribunal Act.

Asstt. Personnel Officer
Northern Railway Lucknow

... 6

Para 11: Needs nore-ply

Para 12: Needs no reply, by the respondents. It is for the Hon'ble Tribunal to verify whether the requisite fees has been paid or not.

Para 13: Needs no reply.

14. That on the facts and circumstances the application is liable to be dismissed with costs to the respondents.

Lucknow
dated: 29.6.1990

Respondents.
Asstt. Personal Officer, Northern Railway, Lucknow.

Verification

I, Sheo Ayan Prasad working as Asst. Personal Officer, in the D.R.M.'s Office Lucknow and competent to sign and verify this reply do hereby verify that the contents of paras 1 to 14 of this reply are true to my oqn knowledge based on information derived from record and legal advice received.

Signed and verified this 29th day of ~~March~~ June 1990 at Hazratganj Lucknow.

Asstt. Personal Officer, Northern Railway, Lucknow.

A88

Before the Vice Chairman,
Central Administrative Tribunal Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow.

M.P. 284/92

O.A. 56 of 1989.

Kamal Swaroop Gaur	......	Petitioner
	Versus	
Union of India & others	......	Opposite parties

EXPEDITE APPLICATION.

The petitioner mentioned above begs to state as under:-

1. That the petitioner initially filed his case in the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench on 15.1.1986, which was latter withdrawn on account of change in Law and the present O.A. was filed on 24.2.89.

2. That the case is ripe for arguments but for want of sitting of Bench the case is being adjourned & now the present date fixed is 22.5.91.

3. That the case has become fairly old and there being no certainity of availability of Bench for hearing it is requested that the case may kindly be ordered to be listed on a date on which Bench is available for hearing.

K S Gaur

Petitioner

R. B. Srivastava

Advocate